हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

5 सितम्बर, 2000

खण्ड 2, अंक 1

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 5 सितम्बर, 2000

	पृष्ठ संख्या
शोक प्रस्ताव	(1)1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(1)13
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(1)29
घोषणाएं :	
(क) अध्यक्ष द्वारा :—	
(i) सभापतियों के नामों की सूची	(1)32
(ii) याचिका समिति	(1)33
(ख) सचिव द्वारा :—	
राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी	(1)33
बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना	(1)34
सदन की मेज पर रखे गये/पुनः रखे गये कागज़-पत्र	(1)38

मूल्य :

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 5 सितम्बर, 2000

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1 चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon. Members, now Chief Minister will make Obituary References.

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्मानित सदन के पिछले अधिवेशन और इस अधिवेशन के बीच में ऐसी विभूतियां इस संसार से चली गई जिन्हें याद करके हृदय को बहुत पीड़ा होती है।

हरियाणा के शहीद

अध्यक्ष महोदय, यह सदन उन वीर सैनिकों, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा तथा देश की एकता और अखण्डता के लिए साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया, को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है। इन महान् शहीदों के नाम इस प्रकार हैं :—

1. नायक रघुबीर सिंह, गांव सोताय, फरीदाबाद
2. हवलदार शियोराज सिंह, गांव खेड़ी, महेन्द्रगढ़
3. हवलदार दलबीर सिंह गांव चरखी, भिवानी
4. सिपाही श्याम फूल खन्ना, गांव जसीया, रोहतक
5. सिपाही सुशील कुमार, गांव अटोलापुर, पानीपत।

यह सदन इन महान् वीरों की शहादत पर इन्हें शत-शत नमन करता है और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, इनके अलावा तीन तारीख को एक बी0एस0एफ0 के सब इंस्पैक्टर की डैड बाडी महेन्द्रगढ़ जिले में आई और मैं इत्तफाक से उस दिन उधर दौरे पर था। मुझे उनके घर जाने का अवसर मिला। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि उनका नाम भी इन शहीदों के नाम के साथ जोड़ लिया जाए।

श्री जगजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सिपाही जगदीश तक्षक गांव भागवी, जिला भिवानी का नाम भी इन शहीदों की लिस्ट में शामिल कर लिया जाए क्योंकि वह भी कारगिल में शहीद हुआ है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : ठीक है, अध्यक्ष महोदय इनका नाम भी इस लिस्ट में जोड़ दिया जाए। इनके अलावा यदि ऐसा कोई शहीद हो तो उसका नाम भी इस लिस्ट में जोड़ दिया जाए। यह सदन इन महान वीरों की शहादत पर इन्हें शत-शत नमन करता है और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री पी0आर0 कुमारमंगलम, भूतपूर्व केन्द्रीय मन्त्री

अध्यक्ष महोदय, यह सदन केन्द्रीय मंत्री श्री पी0आर0 कुमारमंगलम के 23 अगस्त 2000 को हुए दु:खद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। अध्यक्ष महोदय, राजनीति उनके खून में थी। इनके पिताश्री भी केन्द्रीय सरकार में मंत्री के पद पर आसीन रहे। वे अपने युग में बहुत सुयोग्य राजनीतिज्ञों में से एक थे। व्यक्तिगत तौर पर मेरे भी उनके साथ बहुत अच्छे संबंध रहे। विशेष रूप से यह सदन ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश उनका इस बात के लिए आभार व्यक्त करेगा कि जिस समय हमारे प्रदेश पर बिजली का बहुत भारी संकट था उस समय उन्होंने इन्टरवीन करके हमें केन्द्रीय पूल से हरियाणा प्रदेश के हक से ज्यादा बिजली दे कर हमें अनुग्रहित किया था। उनका जन्म 12 मई, 1952 को हुआ। उन्होंने बी0एस0सी0 और एल0एल0बी0 की डिग्रियां प्राप्त की। उन्होंने 1975 में राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया और वे श्रमिकों के हितों की रक्षा करते हुए एक प्रख्यात श्रमिक नेता बने। वह 1984, 1989, 1991, 1998 और 1999 में लोक सभा के सदस्य चुने गए। वह एक आधुनिक दृष्टिकोण के व्यक्ति थे और अंग्रेजी, हिन्दी, तमिल तथा बांग्ला भाषाओं के ज्ञाता थे। वह 1991 से 1993 तक केन्द्रीय राज्य मंत्री रहे और 1998 से केन्द्रीय मंत्री थे।

उनके निधन से देश एक सक्रिय सांसद और योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता है।

श्री राजेश पायलट, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री

यह सदन भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री राजेश पायलट के 11 जून, 2000 को हुए दु:खद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 10 फरवरी, 1945 को हुआ। वह 15 वर्ष भारतीय वायु सेना में स्क्वाड्रन लीडर के पद पर रहे। वह 1980, 1984, 1991 और 1999 में लोक सभा के सदस्य चुने गये। वह 1985 से 1989 तक केन्द्रीय राज्य मंत्री और 1991 से 1996 तक केन्द्रीय मंत्री रहे। उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक और अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। व्यक्तिगत तौर पर उनकी जितनी भी सराहना की जाए वह बहुत कम है। वे बहुत ही व्यवहार कुशल के व्यक्ति थे। उनके अन्दर एक विशेषता थी कि जब भी कोई व्यक्ति उनसे टेलीफोन पर संपर्क स्थापित करने की कोशिश करता था तो यदि वे दिल्ली से बाहर होते या विदेश में भी होते थे तो भी संबंधित व्यक्ति से टेलीफोन पर उससे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते थे। वे लोगों की शिकायतें सुन करके उनको हल कराने का प्रयास करते। वे एक बहुत अच्छे कृषक नेता थे। वे किसानों और गरीबों की सहायता में हमेशा लगे रहते थे। वे खासकर ग्रामीण आंचल में बसने वालों की शिकायतों को बड़े ध्यान से सुन करके उनको हल करने का प्रयास करते थे।

उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक और अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

राव लक्ष्मी नारायण, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री राव लक्ष्मी नारायण के 23 अप्रैल, 2000 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 1943 में हुआ। वह 1987 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वह 1987 से 1991 तक मंत्री रहे।

उनके निधन से राज्य एक योग्य प्रशासक और विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री सीता राम बागला, संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सीता राम बागला के 23 जून, 2000 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 6 जुलाई, 1912 को हुआ। उन्होंने 'भारत छोड़ो आंदोलन' में भाग लिया। उन्होंने अपनी 200 बीघा जमीन 'भू-दान आंदोलन' में दान दी। वह 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये।

उनके निधन से देश एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री दर्शन सिंह झबाल, संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री दर्शन सिंह झबाल के 19 जुलाई, 2000 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 1 अप्रैल, 1923 को हुआ। वह 1952 में संयुक्त पंजाब विधान सभा तथा 1969 और 1977 में पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये।

उनके निधन से देश एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री जसदेव सिंह संधू, संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री जसदेव सिंह संधू के 8 अप्रैल, 2000 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 29 अक्तूबर, 1929 को हुआ। उन्होंने बी0ए0 और एल0एल0बी0 की डिग्रियां प्राप्त कीं। वह 1957 और 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा तथा 1969 और 1972 में पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये। वह 1970-71 के दौरान राज्य मंत्री रहे।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक और अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

कैप्टन हवा सिंह, ख्याति प्राप्त मुक्केबाज

यह सदन ख्याति प्राप्त मुक्केबाज कैप्टन हवा सिंह के 14 अगस्त, 2000 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 15 दिसम्बर, 1937 को हुआ। वह 1956 में भारतीय सेना में भर्ती हुए और 1983 में कैप्टन के पद से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने 1962, 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया। उन्होंने चार बार अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 1966 और 1970 में हुए एशियाई खेलों में दो स्वर्ण पदक जीते। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये उन्हें 'अर्जुन अवार्ड' तथा 'भीम अवार्ड' से सम्मनित किया गया। वह 1985 में मुक्केबाजी के प्रशिक्षक नियुक्त हुए। उन्होंने देश का नाम रोशन करने वाले 25 से अधिक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाजों को प्रशिक्षित किया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन्हें 29 अगस्त, 2000 को मरणोपरान्त द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

उनके निधन से देश के ख्याति प्राप्त मुक्केबाज, श्रेष्ठ प्रशिक्षक तथा वीर सैनिक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन हरियाणा विधान सभा के उपाध्यक्ष श्री गोपीचंद गहलोत के चाचा श्री शेर सिंह गहलोत, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री बंसी लाल की माता श्रीमती धापा देवी, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री राम किशन के छोटे भाई श्री उदयभान तथा हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री जनरैल सिंह के पिता श्री हाकम सिंह के हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन 20 मार्च, 2000 को छत्ती सिंहपुरा (अनंतनाग) और 2 अगस्त, 2000 को पहलगाम तथा जम्मू-कश्मीर के अन्य स्थानों पर उग्रवादियों द्वारा मारे गए लोगों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

प्राकृतिक आपदाएं

यह सदन अगस्त, 2000 में हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में आई भारी बाढ़ से मरने वाले लोगों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा में आए साईक्लोन की वजह से जो बहुत भारी जानी नुकसान हुआ है। उन मरने वाले लोगों के प्रति भी यह सदन हार्दिक संवेदना प्रकट करता है और मैं प्रस्ताव करता हूं कि उनके नामों को भी इस शोक प्रस्ताव में शामिल कर लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, उनके नामों को भी इस शोक प्रस्ताव में शामिल कर लिया जाए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू में हुई हवाई दुर्घटना में मरे लोगों के नाम भी इस शोक प्रस्ताव में जोड़ लिये जाएं।

श्री अध्यक्ष : उनके नामों को भी इस में शामिल किया जाता है।

श्री भजन लाल (आदमपुर) : अध्यक्ष महोदय, पिछले सैशन के बाद 6 महीने के अन्तराल में इस देश में बहुत सी महान विभूतियां हमसे जुदा हुई हैं, आज सारा सदन उनके प्रति शोक प्रस्ताव में शामिल है। अध्यक्ष महोदय, उन महानुभावों की चर्चा मैं इस महान सदन में करूंगा। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से उन वीर सैनिकों, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा तथा देश की एकता और अखण्डता के लिए साहस और धीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया, को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता हूं। इन महान शहीदों के नाम इस प्रकार हैं : नायक रघुबीर सिंह, गांव सोताय, फरीदाबाद, हवलदार शिवोराज सिंह, गांव खेड़ी, महेन्द्रगढ़, हवलदार दलबीर सिंह, गांव चरखी भिवानी, सिपाही श्याम फूल खन्ना गांव जसीया, रोहतक, सिपाही सुशील कुमार, गांव अटोलापुर, पानीपत। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इन महान वीरों की शहादत पर इन्हें शत-शत नमन करता हूं और इनके शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा 2-3 नाम और भी जोड़े गए हैं। दादरी से और एक नारनौल से, उनके नाम भी इनमें शामिल कर लिए जाएं।

नगर एवं ग्राम आयोजना मन्त्री (श्री धीरपाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, बादली के दो शहीदों के नाम भी इसमें जोड़ लिए जाएं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, उनके नाम भी शामिल कर लिए जाएं।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से केन्द्रीय मंत्री श्री पी0आर0 कुमारमंगलम के 23 अगस्त, 2000 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 12 मई, 1952 को हुआ। उन्होंने बी0एस0सी0 और एल0एल0बी0 की डिग्रियां प्राप्त कीं। उन्होंने 1975 में राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया और वे श्रमिकों के हितों की रक्षा करते हुए एक प्रख्यात श्रमिक नेता बने। वह 1984, 1989, 1991, 1998 और 1999 में लोक सभा के सदस्य चुने गये। वह एक आधुनिक दृष्टिकोण के व्यक्ति थे और अंग्रेजी, हिन्दी, तमिल तथा बांग्ला भाषाओं के ज्ञाता थे। वह 1991 से 1993 तक केन्द्रीय राज्य मंत्री रहे और 1998 से केन्द्रीय मंत्री थे।

उनके निधन से देश एक सक्रिय सांसद और योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री राजेश पायलट के 11 जून, 2000 को हुए दुःखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

[श्री भजन लाल]

उनका जन्म 10 फरवरी, 1945 को हुआ। वह 15 वर्ष भारतीय वायुसेना में स्कवाड्रन लीडर के पद पर रहे। वह 1980, 1984, 1991 और 1998 में लोक सभा के सदस्य चुने गये। वह 1985 से 1989 तक केन्द्रीय राज्य मंत्री और 1991 से 1996 तक केन्द्रीय मंत्री रहे। अध्यक्ष महोदय, वे मेरे साथ मिनिस्टर भी रहे। हरियाणा के साथ उनका बहुत ही घनिष्ट सम्बन्ध था तथा वे देश के जाने माने राजनेता थे। उनके निधन से एक खलल पैदा हो गई है। वे बहुत ही सक्षम, काबिल और मिलनसार व्यक्ति थे और गरीब आदमी की सेवा करने वाले व्यक्ति थे। उनके जैसे व्यक्ति इस देश में बहुत ही कम मिलेंगे। उनका निधन मेरा पर्सनल लौस है। उनके चले जाने से इस देश का बहुत भारी नुकसान हुआ है। उनके निधन पर मैं शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री राव लक्ष्मी नारायण के 23 अप्रैल, 2000 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 1943 में हुआ। वह 1987 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। वह 1987 से 1991 तक मंत्री रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य प्रशासक और विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सीता राम बागला के 23 जून, 2000 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 6 जुलाई, 1912 को हुआ था। उन्होंने "भारत छोड़ो आंदोलन" में भाग लिया। उन्होंने अपनी 200 बीघा जमीन भू-दान आंदोलन में दान दी थी। वह 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गए। उनके निधन से देश एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री दर्शन सिंह झबाल के 19 जुलाई, 2000 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 1 अप्रैल, 1923 को हुआ था। वह 1952 में संयुक्त पंजाब विधान सभा तथा 1969 और 1977 में पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गए। उनके निधन से देश एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री जसदेव सिंह संधू के 8 अप्रैल, 2000 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 29 अक्तूबर, 1929 को हुआ। उन्होंने बी0ए0 और एल0एल0बी0 की डिग्रियां प्राप्त की। वह 1957 और 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा तथा 1969 और 1972 में पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये। वह 1970-1971 के दौरान राज्य मंत्री रहे। उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक और अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से ख्याति प्राप्त मुक्केबाज कैप्टन हवा सिंह के 14 अगस्त, 2000 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। ऐसे

खिलाड़ी और मुक्केबाज देश में बहुत कम पैदा होते हैं। उनके निधन से खेल जगत में बहुत खलल पैदा हो गई है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा विधान सभा के उपाध्यक्ष श्री गोपीचंद गहलोत के चाचा श्री शेर सिंह गहलोत, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री बंसी लाल जी की माता श्रीमती धापा देवी, हरियाणा विधान सभा के सदस्य, श्री राम किशन के छोटे भाई श्री उदयभान तथा हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री जरनैल सिंह के पिता श्री आकम सिंह के हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से 20 मार्च, 2000 को छत्ती सिंहपुरा (अनंतनाग) और 2 अगस्त, 2000 को पहलगाम तथा जम्मू- कश्मीर के अन्य स्थानों पर उग्रवादियों द्वारा मारे गए लोगों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा और भी बहुत से लोगों की जाने अनजाने उग्रवादियों द्वारा मौत हो गई है उनके प्रति भी मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक प्रकट करता हूं तथा दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से अगस्त, 2000 में हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में आई भारी बाढ़ से मरने वाले लोगों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कई और जगहों पर भी बाढ़ आई जहां पर बहुत से लोगों की मौतें हुई उनका तो नाम आ गया लेकिन जहां पर इक्का दुक्का मौतें हुई उनका नाम भी इसमें शामिल होना चाहिए।

श्री कृष्ण पाल (मेवला महाराजपुर) : अध्यक्ष महोदय, पिछले सदन के बाद से इस सदन के आगे तक हमारे बीच में से इस देश की अनेक महान विभूतियां चली गयी हैं जिनका उल्लेख मैं आपके सामने करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से उन वीर सैनिकों, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तथा देश की एकता और अखण्डता के लिए साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया, को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता हूं। इन महान वीर शहीदों के नाम इस प्रकार हैं :-

1. नायक रघुबीर सिंह, गांव सोताय, फरीदाबाद
2. हवलदार शियोराज सिंह गांव खेड़ी, महेन्द्रगढ़
3. हवलदार दलबीर सिंह गांव चरखी, भिवानी
4. सिपाही श्याम फूल खन्ना, गांव जसोथा, रोहतक
5. सिपाही सुशील कुमार, गांव अटोलापुर, सोनीपत

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से बी0एस0एफ0 के एक जवान, जो नारनौल का रहने वाला था, बादली के दो जवान एवं दादरी के एक जवान तथा और दूसरे जवानों के शहीद होने पर भी मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से अश्रुपूर्ण नमन करता हूं। ये सैनिक इस देश की रक्षा के लिए शहीद हो गए।

[श्री कृष्ण पाल गुर्जर]

मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इन महान वीरों की शहादत पर इन्हें शत-शत नमन करता हूं और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से केन्द्रीय मंत्री श्री पी0आर0 कुमारमंगलम के 23 अगस्त, 2000 को हुए दु:खद व असामयिक निधन पर मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से गहरा शोक प्रकट करता हूं। श्री कुमारमंगलम को ऊर्जा क्रांति लाने के जनक के रूप में जाना जायेगा। खासतौर से हरियाणा को ऊर्जा के क्षेत्र में उनकी सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने फरीदाबाद में गैस पर आधारित 430 मैगावाट का बिजली घर चालू करवाया। यह बिजली घर हिन्दुस्तान में मिसाल के रूप में ऐसा होगा जिसकी सारी की सारी बिजली सिर्फ हरियाणा को दी जायेगी। इसलिए हरियाणा का किसान, हरियाणा का मजदूर और हरियाणा का व्यापारी उनकी इस देन को कभी भुला नहीं पाएगा। उनके निधन से देश एक सक्रिय सांसद और योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री राजेश पायलट के 11 जून, 2000 को हुए दु:खद व असामयिक निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूं। श्री पायलट बादरी (उत्तर प्रदेश) के वैधपुरा गांव में पैदा हुए थे। वे एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। इतने साधारण परिवार से केन्द्रीय मंत्री तक पहुंचना अपने आप में एक बात है। वे किसानों की, मजदूरों की और आम आदमी की आवाज को पार्टी में ही नहीं पार्टी से बाहर भी, संसद में ही नहीं संसद से बाहर भी उठाया करते थे। उनको बेबाक और निर्भीक व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। अच्छी बात को अच्छी कहना और गलत बात को गलत कहना उनकी आदत में शामिल था। लेकिन आज वे हमारे बीच में नहीं रहे। आज इस देश ने एक उभरता हुआ राष्ट्रीय नेता खो दिया है।

उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक और अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी प्रकार से इसी विधान सभा के सदस्य रहे राव लक्ष्मी नारायण जिनका निधन 23 अप्रैल, 2000 को हुआ, पर मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 1943 में हुआ। वह 1987 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वह 1987 से 1991 तक मंत्री रहे। लेकिन आज वे भी हमारे बीच में नहीं रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य प्रशासक और विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सीता राम बागला के 23 जून, 2000 को हुए दु:खद निधन पर मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से गहरा शोक प्रकट करता हूं।

इसी तरह से श्री दर्शन सिंह झबाल जोकि संयुक्त विधान सभा के सदस्य रहे हैं, के 19 जुलाई, 2000 को हुए दु:खद निधन पर मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी प्रकार से श्री जसदेव सिंह संधू जोकि संयुक्त विधान सभा के सदस्य रहे हैं, के 8 अप्रैल, 2000 को हुए दु:खद निधन पर यह सदन गहरा शोक प्रकट करता है।

उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक और अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक- संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी तरह से कैप्टन हवा सिंह जोकि एक ख्याति प्राप्त मुक्केबाज रहे हैं, के 14 अगस्त, 2000 को हुए दु:खद निधन पर भी यह सदन गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 15 दिसम्बर 1937 में हुआ। वह 1956 में भारतीय सेना में भर्ती हुए और 1983 में कैप्टन के पद पर सेवानिवृत हुए। उन्होंने 1962, 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया। उन्होंने 1966 और 1970 में हुए एशियाई खेलों में दो स्वर्ण पदक जीते। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें अर्जुन अवार्ड तथा भीम अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह 1985 में मुक्केबाजी के प्रशिक्षक नियुक्त हुए। उन्होंने देश का नाम रोशन करने वाले 25 से अधिक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाजों को प्रशिक्षित किया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन्हें 29 अगस्त, 2000 को मरणोपरान्त द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

उनके निधन से देश एक ख्याति प्राप्त मुक्केबाज, श्रेष्ठ प्रशिक्षक तथा वीर सैनिक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मैं हरियाणा विधान सभा के उपाध्यक्ष श्री गोपी चन्द गहलौत के चाचा श्री शेर सिंह, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री बंसी लाल जी की माता श्रीमती धापा देवी, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री राम किशन के भाई श्री उदय भान, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री जरनैल सिंह के पिता श्री हाकम सिंह के हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से 20 मार्च, 2000 व 2 अगस्त, 2000 को छत्ती सिंहपुरा व जम्मू कश्मीर के अन्य स्थानों पर उग्रवादियों द्वारा मारे गए लोगों के दु:खद एवं असामयिक निधन पर शोक प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से अगस्त, 2000 में हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा में आई भीषण बाढ़ से मरने वाले लोगों के दु:खद निधन पर भी मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से गहरा शोक प्रकट करता हूं। पटना में हुई हवाई त्रासदी में मरने वाले लोगों के नामों को भी इस शोक प्रस्ताव में जोड़ दिया जाए। मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। इसी प्रकार से स्वामी कृष्ण गिरि जी महाराज का मैं जिक्र करना चाहूंगा उनके हरियाणा में कई जगह डेरे थे और वे गिरि पंथ के

[श्री कृष्ण पाल गुर्जर]

राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इनकी हत्या रामपुरा डेरे में हुई। वे अनेक गौशालायें चला रहे थे। हरियाणा के संत समाज में उनका अहम स्थान था मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से उनके प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। उनका नाम भी इस शोक प्रस्ताव में शामिल करने का मैं अनुरोध करता हूं।

श्री बंसी लाल (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव पेश किया है उसका मैं अनुमोदन करता हूं। इस देश के महान शहीद देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपनी जानों की बाजी लगा गए नायक रघुबीर सिंह, हवलदार शिवराज, हवलदार दलबीर सिंह, सिपाही श्याम फूल खन्ना, सिपाही सुशील कुमार और जितने नाम चौधरी धीरपाल सिंह जी ने गिनाए उन सबके शोक संतप्त परिवारों के साथ मैं संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से श्री पी0आर0 कुमारमंगलम के दिनांक 23 अगस्त, 2000 को हुए दु:खद निधन पर गहरा दु:ख है। वे एक बहुत लायक व्यक्ति थे और सही मायनों में रैगुलर ढंग से काम करने वाले थे उन्होंने कभी किसी आदमी को काम करने में नाराज नहीं होने दिया और हर काम को बड़ी खूबसूरती से किया, वे कई भाषाओं के ज्ञाता थे। वे कई बार लोकसभा के लिए चुने गए। यह एक इत्तिफाक की बात है कि कुमारमंगलम जी की तीनों पीढ़ियां केन्द्रीय सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बनीं, उनके दादा श्री सी0 सुब्बा राव पंडित जवाहर लाल नेहरू की कैबिनेट में कम्यूनिकेशन मिनिस्टर थे, इत्तिफाक की बात है कि मेरा उनसे भी पोस्ट एंड टेलीग्राफ के सिलसिले में मिलना हुआ था, उनके सुपुत्र श्री मोहन कुमारमंगलम केन्द्रीय सरकार में इस्पात मंत्री रहे और रंगराजन कुमारमंगलम का काम करने का तरीका अपना था और वे हर बात अपने ढंग से करते थे और बहुत ही कुशलता से करते थे मेरा उनसे काफी सम्पर्क रहा, उनके लिए जितना कह दिया जाए, थोड़ा है। भगवान की इच्छा थी कि 48 साल की उम्र में उन्हें इस संसार से जाना पड़ा मैं उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री राजेश पायलट बहुत होनहार युवक थे। जब वे विंग कमाण्डर थे तब मेरा उनसे वास्ता रहा है। जब वे केन्द्र में राज्यमंत्री थे तब भी हमने साथ ही इकट्ठा काम किया था क्योंकि वे मेरे साथ ही राज्यमंत्री थे। मगर मृत्यु का हाथ बड़ा क्रूर होता है। उनकी जीप का एक्सीडेंट हो गया और वे इस संसार से चले गये। मैं यह कहूंगा कि अगर वे जिन्दा रहते तो शायद देश की राजनीति को नया मोड़ देते। मुझे उनकी मृत्यु से बड़ा भारी शोक हुआ है और मैं उनके परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

राव लक्ष्मी नारायण जी इस हाऊस के मैम्बर रहे। अब वे इस संसार से चले गये। उनके परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री सीता राम बागला सिरसा के रहने वाले थे। वे पंजाब विधान सभा में सदस्य रहे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वे फ्रीडम फाईटर थे उन्होंने देश की आजादी के लिये सजा काटी। अपनी पूरी जमीन भी देश के लिये दे दी। उनकी कुर्बानी भुलाई नहीं जा सकती। उनके परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री दर्शन सिंह झबाल संयुक्त पंजाब में विधान सभा के सदस्य रहे। मैं उनके परिवार के प्रति भी संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री जसदेव सिंह संधू ज्ञानी करतार सिंह जी के बड़े चहेते थे, उनके फौलोवर थे और अकाली पार्टी के सदस्य थे। श्री जसदेव सिंह संधू से मेरे व्यक्तिगत संबंध रहे हैं और वे पंजाब सरकार में मंत्री भी रहे। उनकी इस तरीके से मृत्यु होने पर मैं उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

कैप्टन हवा सिंह एक मुक्केबाज थे, वे 14 अगस्त, 2000 को इस संसार से चल बसे, उनके परिवार के प्रति भी मैं संवेदना प्रकट करता हूं।

बाकी जो सदस्यगण के रिश्तेदारों के नाम बताये हैं उनके प्रति भी मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, छतीसिंहपुरा में जो हत्याएं की गई हैं, जिस ढंग से एक ही जाति के लोगों को छांटकर लाइन में लगाकर गोलियां चलाई गई यह बहुत अफसोसनाक और दिल हिलाने वाली बात है। मगर ये टेरोरिस्ट ऐसी वारदातें अक्सर करते रहते हैं। उनके लिए मैं भारत सरकार से कहूंगा कि उनके प्रति किसी प्रकार की ढील नहीं बरतनी चाहिये और सरकार को सख्ती से काम लेना चाहिये। आज वे 36 परिवार किस के सहारे बैठे हुए हैं, कहां जायें और क्या करें। वे आज कुछ नहीं कर सकते। जब मौत होती है तो हर आदमी संवेदना प्रकट करने चला जाता है मगर बाद में कोई नहीं पूछता कि उन परिवारों का क्या हाल है। यह बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं उन 36 व्यक्तियों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अगस्त, 2000 में हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आने की चर्चा की। उस दिन जिन लोगों के साथ यह हादसा हुआ यह ताज्जुब की बात है कि सतलुज नदी में अढ़ाई करोड़ क्यूसिक पानी एक साथ आ गया इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तिब्बत में बादल फट गया और अचानक इतना पानी आ गया और काफी लोग मारे गये। परन्तु यह आपदा हिमाचल प्रदेश सरकार और भारत सरकार को कुछ दिन तक और तंग करेगी क्योंकि ये लोग कहां जायेंगे और कहां सैटल होंगे। उन सभी संतप्त परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं।

आसाम की बाढ़ में जो लोग मारे गए हैं उनके नाम भी इस शोक प्रस्ताव में शामिल कर लिए जाएं। मैं चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश की बाढ़ में जो लोग मारे गए हैं उनके नाम भी इस शोक प्रस्ताव सूची में शामिल कर लिए जाएं। अभी कृष्ण पाल जी ने कहा पटना में जो हवाई त्रासदी में बहुत लोग मारे गए, मेरी गुजारिश है कि इस त्रासदी में मारे गए लोगों के नाम भी इस शोक प्रस्ताव सूची में शामिल कर लिए जाएं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जितने भी मैम्बर्ज ने जिन-जिन लोगों के नाम इस शोक प्रस्ताव में शामिल करने का सुझाव दिया है उनके नाम इस शोक प्रस्ताव में शामिल कर लिए जाएं। इन शब्दों के साथ मैं इस शोक प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, उनके नाम शामिल कर लिए जाएं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर जितने भी शोक प्रस्ताव आए हैं, मैं उन पर अपनी संवेदना प्रकट करते हुए गुजारिश करना चाहूंगा कि विपक्ष के नेता माननीय श्री भजन लाल के भांजे श्री हनुमान सिंह एक्स एम0एल0ए0 के 25 वर्षीय बेटे श्री कृष्ण और उनकी पुत्रवधु 22 वर्षीय श्रीमती सीमा देवी, की शिमला के पास दुर्घटना में असामयिक मृत्यु हो गई, उनके नाम भी शोक प्रस्ताव नं0 9 में शामिल कर लिए जाएं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, उनके नाम इस शोक प्रस्ताव में शामिल कर लिए जाएं। Leaders of different parties have expressed their views about the departed personalities, I also agree with their views.

माननीय सदस्यगण पिछले सदन और इस सदन के बीच में हमारे देश के बहुत से सहयोगी सैनिक, बहुत काबिल राजनेता, अच्छे खिलाड़ी और समाज सेवियों का निधन हो गया, उनमें हमारे कई माननीय सदस्यगणों के परिवारजन शामिल हैं। इससे सारे समाज को, सारे देश को गहरा धक्का लगा है तथा कई बातों पर वैक्युम भी पैदा हुआ है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान दिवंगत आत्माओं के परिवारजनों को इस दुःख और तकलीफ की घड़ी को बर्दाश्त करने की ताकत और सहारा दे। सबसे होनहार श्री पी0आर0 कुमारमंगलम जो इस देश के केन्द्रीय मंत्री थे, इनकी मृत्यु 48 वर्ष की थोड़ी सी आयु में ही हो गई। इन्होंने हरियाणा प्रदेश के लिए और देश के दूसरे प्रदेशों के लिए बिजली आदि दूसरे क्षेत्रों में जितना योगदान दे सकते थे, दिया। उनके निधन से इस देश को भारी क्षति पहुंची है।

श्री राजेश पायलट की विचित्र तरीके से मृत्यु हो गई। ये एक अच्छे सैनिक और अच्छे राजनेता थे। इनकी मृत्यु रोड एक्सीडैंट में हुई तथा ये खुद ही गाड़ी चला रहे थे। वे किसानों के लिए लड़ाई लड़ते थे, उनसे मिलने का तो मुझे मौका नहीं मिला लेकिन मुझे उनकी विचारधारा अच्छी लगती थी। उनके निधन से एक सुयोग्य शासक हमारे बीच में नहीं रहा।

राव लक्ष्मी नारायण 1987 से 1991 तक एम0एल0ए0 रहे। उन्होंने चौधरी देवी लाल और ओम प्रकाश चौटाला की वजारत में कई महकमों में कार्य किया। वे हंसमुख और खुशदिल मिजाज के व्यक्ति थे। उनके निधन से प्रदेश को गहरा धक्का लगा है। इसी तरह से श्री सीताराम बागला जो संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य थे, उनके निधन पर भी मुझे दुःख है। उनकी भू-दान आंदोलन में सहयोगिता का प्रमाण इस क्षेत्र में मिलना मुश्किल है और श्री दर्शन लाल झबाल जो 1952 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य बने, उन्होंने अपनी कुशलता से प्रदेश की बहुत अच्छी तरह से सेवा की उनके निधन से भी मुझे गहरा दुःख है। इसी तरह से श्री जसदेव सिंह संधू जो 1957 में पहली बार संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य बने। वे अच्छे पढ़े लिखे इंसान थे और पंजाब में राज्य मंत्री भी रहे उनके निधन से भी मुझे गहरा दुःख हुआ है। कैप्टन हवा सिंह जो इस देश के वीर सैनिक थे, देश के लिए तीन लड़ाईयां लड़ी और खेल जगत में भी उन्होंने देश की आन, मान और शान को ऊंचा किया। मुक्केबाजी में उन्होंने गोल्ड मैडल जीता था। इस तरह से एक वीर सैनिक और खिलाड़ी की मौत से मुझे गहरा दुःख हुआ है, भगवान उनके परिवार को यह दुःख सहन करने की ताकत दे। इसी तरह से हमारी विधान सभा के उपाध्यक्ष श्री गोपी चंद गहलोत के चाचा श्री शेर सिंह गहलोत, चौधरी बंसी लाल जी की माता श्रीमती धापा देवी, विधायक रामकिशन जी के छोटे भाई उदयभान, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री जरनैल सिंह के पिता श्री हाकम सिंह और चौधरी भजन लाल जी ने जो भी नाम रखा उनके निधन पर मुझे गहरा दुःख है। इसी तरह से 20 मार्च, 2000 और 2 अगस्त, 2000 को जम्मू कश्मीर और हिमाचल में प्राकृतिक आपदा और उग्रवादियों द्वारा काफी लोग मारे गये, न केवल जान-माल का ही नुक्सान हुआ बल्कि इससे देश को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि इन दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और इनके परिवार के सदस्यों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इसके अतिरिक्त इस माननीय सदन के

जिन-जिन माननीय सदस्यों ने जो-जो नाम इस शोक प्रस्ताव में रखे हैं उनके परिवारों के प्रति भी यह सदन श्रद्धांजलि अर्पित करता है और मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि सभी 2 मिनट के लिए खड़े होकर इन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मौन धारण करें।

(इस समय सदन में उपस्थित माननीय सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Installation of Sugarcane Weigh Bridge

***45. Sh. Ram Kumar Katwal :** Will the Minister for Cooperation be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to install the sugracane weigh bridge in the villages Mundh, Aradana and Bahri; if so, the time by which the said sugracane weigh bridge is likely to be installed?

सहकारिता मंत्री (श्री करतार सिंह भडाना) : जी नहीं, श्रीमान्।

श्री राम कुमार कटवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ये जो तीन गांव मुंढ, अरडाना तथा बाहरी हैं, ये पहले जींद जिले में पड़ते थे। बाद में ये करनाल में शामिल कर दिए गये। 1987 में जब ताऊ देवी लाल जी की सरकार थी, उस समय इन गांवों में कांटा लगाना था लेकिन वह सरकार उस समय चली गई और बाद में कांग्रेस की सरकार आ गई और इन्होंने वहां पर कांटा नहीं लगने दिया। अध्यक्ष महोदय, इन गांवों में 100 एकड़ भूमि पर गन्ना बोया जाता है इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वहां पर एक कांटा लगवाया जाये, वे लोग अब अलेवा में अपना गन्ना डालने के लिए जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : कटवाल साहब, आप कौन सी शूगर मिल में गन्ना पहुंचवाना चाहते हैं ?

श्री राम कुमार कटवाल : अध्यक्ष महोदय, हम इन गांवों के किसानों का गन्ना जीन्द शूगर मिल में पहुंचवाना चाहते हैं क्योंकि करनाल वहां से 48 किलोमीटर है जो कि ज्यादा दूर पड़ता है।

श्री करतार सिंह भडाना : अध्यक्ष महोदय, ये तीनों गांव कोई भी कंडीशन पूरी नहीं करते। सरकारी हिदायतों के मुताबिक कम से कम 40,000 क्विंटल गन्ना होना चाहिए। दूसरी कंडीशन यह है कि 5 किलोमीटर से कम दूरी पर नजदीकी स्थापित केन्द्र नहीं होना चाहिए और पक्की सड़क होनी चाहिए। ये गांव कोई भी कंडीशन पूरी नहीं करते हैं।

Ban on Recruitment

***7. Capt. Ajay Singh Yadav :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether the State Government has imposed any ban on all new

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

recruitment in the State; if so, the reasons thereof; and

(b) whether the vacancies which are lying vacant for more than one year or above have been abolished in various Government Departments; if so, the reasons thereof ?

वित्त मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह) :

(क) राज्य सरकार द्वारा, योजनेत्तर खर्च को नियन्त्रित करने के लिए आवश्यकता के आधार पर चुनिंदा नई भर्ती की जा रही है।

(ख) भाग (क) में दिये गये उत्तर में दर्शित कारणों के दृष्टिगत दिनांक 29-2-2000 के दो वर्ष से अधिक समय से रिक्त चले आ रहे पदों को समाप्त कर दिया गया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में यह कहा है कि सिलैक्टिड बेसिज़ पर भर्ती कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इन्होंने सिलैक्टिड बेसिज पर भर्ती करने का क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है और सरकार ने जो टोटल बैन लगाया था वह डिफरैंट कैटेगरी वाइज किन-किन पोस्टों पर और किस तारीख से लगाया है ? इसके अलावा कितनी पोस्टें ऐसी हैं जो बैन के दौरान अबोलिश की गई हैं ? खास तौर से एस0सी0/बी0सी0 की कितनी पोस्टें हैं जो कि अबोलिश की जा चुकी हैं?

प्रो0 सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इन्होंने कहा किस तारीख से बैन लगा है, किन पोस्टों को समाप्त कर दिया गया है, इस बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जहां तक पोस्टों की समाप्ति का सवाल है वह अब की बार ही नहीं बल्कि पुराना रिकार्ड भी देख लें कि अलग-अलग समय में दिनांक 26-5-83, 1-5-92, 5-7-96, 26-8-96, 2-4-99, 29-4-99 को जब-जब भी इकोनोमिक मैयरज़ लिये गये हैं तो पोस्टों पर बैन लगा है और आवश्यकता अनुसार भर्ती का मतलब यह होता है कि अनावश्यक पदों को न भरा जाए जैसे कि विभागाध्यक्ष कई बार दैनिक वेतन पर या 89 दिनों के लिये भर्ती कर लेते थे जिसके कारण रवैन्यू रिसीट में नोन-प्लान का एक्सपैंडिचर बढ़ता-बढ़ता 60% तक चला गया है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में प्रति हजार व्यक्तियों में 16 एम्पलाइज हैं जो कि कन्ट्री लैवल पर हाइएस्ट हैं जबकि यू0पी0 में प्रति हजार व्यक्तियों में केवल 4 एम्पलाइज हैं जो कि देश में लोएस्ट है। हमने इस कारण से भी बैन नहीं लगाया। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आने के बाद जब हमने देखा कि पिछली सरकार के दौरान हस्पतालों में जो नर्सिज या स्टाफ हड़ताल पर गये उनको जेलों में डाल दिया गया, उनको मारा-पीटा गया। उनको सर्विस से डिसमिस कर दिया गया। ऐसे 2500 कर्मचारी थे। अध्यक्ष महोदय इसी तरह से चुंगी समाप्ति का नारा बहुत दिनों से चल रहा था। चौधरी बंसी लाल जी की सरकार के टाइम में भी यह नारा चलता रहा लेकिन चुंगी समाप्त नहीं की गई। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की मौजूदा सरकार ने चुंगी समाप्त की जिससे 4100 मुलाजिम सरपलस हो गये। इस तरह से पिछली सरकार द्वारा डिसमिस किये गये 2500 मुलाजिम तथा चुंगी समाप्त होने से सरपलस हुए 4100 मुलाजिमों को यानि कुल 6600 मुलाजिमों को हमने एडजस्ट किया। इसके अलावा एक्स-ग्रेशिया के हजारों केसिज़ ऐसे थे जिनमें

एम्पलाइज की डैथ हो चुकी थी और उनके फैमिली डिपैन्डैंट्स को एक्स-ग्रेशिया के तहत सर्विस नहीं दी जा रही थी। हमने इसीलिये बैन लगाया ताकि इनकी भी भर्ती की जा सके। स्पीकर सर, इन लोगों को तो हमारी सरकार को ऐप्रीशिएट करना चाहिए कि जो कर्मचारी पिछली सरकार ने निकाल दिये थे हमने उन्हें एडजस्ट किया। बैन लगाने के बाद जो पोस्टें समाप्त की गई हैं उनकी संख्या केवल 5419 है जो कि बहुत कम है। स्पीकर सर, इसके अलावा फाइनैंस डिपार्टमैंट में कुछ पोस्टों की भर्ती के लिये भी रिलैक्शेशन दी है जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमैंट, हैल्थ डिपार्टमैंट, टैक्निकल डिपार्टमैंट या फिर यूनीवर्सिटी के प्रोफैसर वगैरह हैं, जिनके बगैर काम नहीं चलता है। इसी प्रकार से लॉ एण्ड आर्डर मैन्टेन करने के लिए पुलिस की भर्ती के लिये रिलैक्शेशन दी गई है। इस तरह से कुल मिलाकर 16,532 पदों को भरने के लिये छूट दी गई है। 16,532 पोस्टें भरने के बारे में प्रोसैस चल रहा है। इसके बारे मैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एस0सी0 और बी0सी0 की कितनी पोस्टें अबोलिश की हैं और इन कैटेगरीज का बैकलाग कितना है ? दूसरा मेरा सवाल यह है कि इन्होंने जिन 16,532 पोस्टों को भरने के बारे में बताया है ये पोस्टें कितने समय में भरने का कार्यक्रम है ?

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, इन पोस्टों को भरने का कार्यक्रम चल रहा है। एजुकेशन डिपार्टमैंट में जे0बी0टी0, पी0टी0आई0, संस्कृत और दूसरी पोस्टों के इन्टरव्यू हो चुके हैं और उन पोस्टों को भरने के लिए प्रोसैस चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले हरियाणा स्टाफ सिलैक्शन कमीशन भी नहीं था अब वह भी कोर्ट के आदेश पर रिकांस्टीच्यूट कर दिया गया है। वह भी कैटेगरी वाइज पोस्टों के लिए एप्लीकेशंज इनवाइट करेगा और उसके बाद इन्टरव्यू ले कर कैंडीडेट्स सिलैक्ट करेगा। इसके अलावा आपने रिजर्व कोटे के बारे में पूछा है। यह इस सवाल से संबंधित नहीं है। इसके लिए आप सैपरेट नोटिस दें, आपको जवाब दे, दिया जाएगा।

श्री रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने सवाल का जवाब दिया है—

"(a) In order to control non-plan expenditure, new recruitments are being made by the State Government only selectively on the basis of necessity.

(b) The posts lying vacant for more than two years, as on 29-2-2000, have been abolished in view of the reasons given in the reply to part (a)." परन्तु हमारे सादर वित्त मंत्री जी की जो बजट स्पीच थी उसमें इन्होंने कहा था। ...

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछें।

श्री रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सहाब, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। बजट स्पीच में जो फिसकल मैनेजमैंट का हैडिंग है उसमें इन्होंने यह कहा था—

"Downsizing the Government by abolition of vacant posts, ban on fresh recruitment, ..."

[श्री रघुबीर सिंह कादियान]

परन्तु जो सवाल का जवाब दिया है उसमें इन्होंने कहा है सिलैक्टिवली औन दि बेसिस ऑफ नैसेसिटी, रिक्रूटमैन्ट की जा रही है। बजट स्पीच में इन्होंने सिलैक्टिव बेसिज कहीं पर भी मैनशन नहीं किया। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि इनमें से कौन सी स्टेटमैंट ठीक है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि जो दो साल से पोस्टें एंगजिस्ट कर रही हैं, उनमें से कितनी पोस्टें खाली हैं और उनको भरने का क्या क्राइटेरिया है ?

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, नई रिक्रूटमैंट पर बैन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। हमने अनैसेसरी रिक्रूटमैंट पर बैन लगाया था। इसके अलावा दो साल से जो पोस्टें खाली पड़ी हैं उनके बारे में भी इनको बता दिया गया है। जहां तक एम्पलायमैंट की बात है यह केवल गवर्नमैंट जौब से ही पूरी नहीं हो सकती। जब से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में मौजूदा सरकार बनी है हमारे प्रदेश में ऐसी पालिसीज बनाई हैं जो एम्पलायमैंट से जुड़ी हुई हैं। चाहे वह पालिसी एजुकेशन डिपार्टमैंट की है, चाहे वह आई0टी0आई0 की है, चाहे वह हैल्थ डिपार्टमैंट की है, चाहे वह पुलिस डिपार्टमैंट की है, सभी पालिसीज एम्पलायमैंट से जुड़ी हुई हैं। कई पालिसी ऐसी हैं जो जौब ओरिएंटिड हैं। उनसे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हरियाणा प्रदेश में नई इंडस्ट्रीयल पालिसी लागू होने के बाद जो नई प्रोजैक्ट प्रोपोजल है उसमें 15 हजार करोड़ रुपए की प्रोपोजल है। वह प्रोपोजल अंडर कंसिड्रेशन है। तीन हजार 869 करोड़ रुपए की इनवैस्टमैंट के मैमोरैंडम पर गवर्नमैंट औफ इंडिया के साथ साईन हो चुके हैं। इससे 22 हजार 147 लोगों को एम्पलाएमैंट मिलेगी। स्पीकर साहब इस साल के दौरान इण्डस्ट्रीज सैक्टर में 12 हजार 408 जौब दिए गए हैं। जब से हमने आई0टी0 पालिसी बनाई है उसके बाद से सारे वर्ल्ड से इण्डस्ट्रीज लगाने का झुकाव हरियाणा की तरफ हो रहा है। हमारे यहां पर इण्डस्ट्रीज के अन्दर सरकार की तरफ से कोई इन्टरफियरैंस नहीं है। मुझे बताते हुए यह फख्र हो रहा है कि आने वाले 5 सालों के अन्दर 5 लाख के लगभग लोगों के लिए एम्पलाएमैंट जनरेट होंगी।

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस सरकार के आने के बाद विभिन्न पदों पर अलग-अलग कैटेगिरीवाईज कुल कितनी नियुक्तियां की गई हैं ?

प्रो0 सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय साथी को बताना चाहूंगा कि 16 हजार 532 पोस्टें भरने का मामला अण्डर प्रोसैस है। 2500 के करीब नियुक्तियां हम कर चुके हैं। इसी प्रकार से म्यूनिसिपल कमेटीज का सरप्लस स्टाफ जो 4100 के करीब था उसको भी हमने एडजैस्ट किया है, वह भी नियुक्तियों में आता है। इसी प्रकार से बहुत सारी पोस्टों को भरने का मामला एच0पी0एस0सी0 और सबोर्डीनेट सर्विस सिलैक्शन कमीशन के पास अंडर प्रोसैस है। हमने एग्जैक्ट कितनी नियुक्तियां अब तक की हैं इस संख्या के बारे में इस समय बताना सम्भव नहीं है, ये इसके लिए अलग से नोटिस देकर सवाल पूछ लें, जवाब दे दिया जाएगा।

श्री धर्मवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी वित्त मंत्री जी ने सदन में बताया है कि आने वाले 5 साल के दौरान हरियाणा में 5 लाख लोगों को एम्पलाएमैंट देने के लिए पोस्टें जनरेट होंगी और 15-16 हजार करोड़ रुपये की इन्वैस्टमैंट होने वाली है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि ये साथ ही साथ यह भी बता दें कि इनकी सरकार आने के बाद इनके डण्डे के जोर से कितनी इण्डस्ट्रीज हरियाणा से बाहर चली गई ?

प्रो0 सम्पत सिंह : मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार के आने के बाद कोई इण्डस्ट्रीज हरियाणा से बाहर नहीं गई। (विघ्न) जब आप चौधरी भजन लाल के साथ थे तो उस वक्त आपके समय में ऐसा होता था। हमारे समय में कोई इण्डस्ट्रीज बाहर नहीं गई। आज हरियाणा के अन्दर इण्डस्ट्रीयल एटमोसफीयर बहुत अच्छा है। यहां का इन्वायरमैंट बहुत अच्छा है। यहां पर दिन-प्रतिदिन नई-नई इण्डस्ट्रीज आ रही हैं। 15-16 हजार करोड़ रुपये की इनवैस्टमैंट लोग करने के लिए तैयार हैं। अब तक 4 हजार करोड़ रुपये के मैमोरेण्डम तैयार हो चुके हैं। यहां का एटमोसफीयर अच्छा है तभी तो लोग यहां पर इण्डस्ट्रीज लगा रहे हैं। वे बावले तो हैं नहीं कि बिना यहां का एटमोसफीयर अच्छा हुए यहां पर अपनी इनवैस्टमैंट करेंगे।

Repair/Construction of Roads in Jhajjar Constituency

*60. Shri Daryao Singh : Will the Chief Minister be pleased to state the total number of roads repaired and constructed in Jhajjar Constituency during the period from July, 1999 to-date together with the amount spent thereon, separately ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : झज्जर निर्वाचन क्षेत्र में, जुलाई, 1999 से अब तक 94.06 किलोमीटर लम्बाई की 37 सड़कों की 56.80 लाख रुपए की लागत से मुरम्मत की गई है। इस अवधि के दौरान इस निर्वाचन क्षेत्र में कोई नई सड़क नहीं बनाई गई है।

श्री दरियाव सिंह : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि झज्जर जिले में इस सरकार के आने के बाद कितनी नई सड़कें बनी हैं और पिछली सरकार के समय में कितनी सड़कें बनी थी ? यानि किस सरकार के दौरान झज्जर जिले में सड़कों पर अधिक काम हुआ है।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, जहां तक माननीय साथी ने यह प्रश्न रेज किया है तथा पिछली सरकार का लेखा जोखा मांगा है, लेकिन इस सिलसिले में इस तरीके का वर्णन मिलता है। श्री दरियाव सिंह को वहां की सड़कों के बारे में ज्यादा पता होगा कि वहां पर तो सड़कों पर खड्डे खुदे हुए थे और आने-जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। हमारी सरकार ने थोड़े से अरसे में 3 सड़कें नई भी बनाई हैं। झज्जर से तलाव, सिलानी से शहीदी सड़क, खातीवास से गवालीसन। इसी प्रकार से मार्कीटिंग बोर्ड ने सिलानी गेट से बादली बरास्ता झज्जर और छप्पार से सुबाना की सड़कों का कार्य पूरी प्रगति पर है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समय में सड़कों की मुरम्मत का कोई काम नहीं हुआ। चौधरी दरियाव सिंह जी को इस बात का भी इल्म है कि झज्जर से रोहतक सड़क पर पिछली सरकार के समय में कितने खड्डे खुदे हुए थे और उस सड़क पर लोगों को आने-जाने में कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि आने-जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। इनके लिए और भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि रोहतक से झज्जर सड़क पर 2 करोड़ 52 लाख रुपये की लागत से 23 किलोमीटर लम्बी सड़क का काम युद्धस्तर पर शुरू हो चुका है। (विघ्न एवं शोर)

श्री दरियाव सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी, जो और सड़कें बनी हैं उनके बारे में बताना भूल ही गए हैं। खखाना से जहाजपुर सड़क बनी उसके बारे में नहीं बताया इसी प्रकारसे

[श्री दरियाव सिंह]

छूछकवास से बम्बूलिया तक प्रैस की सड़क बनी। (विघ्न) मैंने प्रश्न यह पूछा है कि पिछली सरकार के समय में जो सड़कें बनी थीं उन पर कितना पैसा लगा था और अब जो इस सरकार के समय में सड़कें बनी हैं उन पर कितना पैसा लगा है और किन-किन सड़कों की मुरम्मत का कार्य किया गया है ? (विघ्न)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी तथा हाउस को यह बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार की रिपोर्ट तो निल ही है। (विघ्न)

Opening of Civil Hospital

***85. Shri Bhag Singh :** Will the Minister of State for Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to sanction Civil Hospital in Uchana Constituency; if so, the details thereof ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा0 मुनी लाल रंगा) : जी नहीं।

श्री भाग सिंह : उचाना में जनरल अस्पताल बनाने बारे क्या सरकार विचार करेगी ?

डा0 मुनी लाल रंगा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सम्मानित सदस्य ने उचाना में सामान्य अस्पताल के बारे में पूछा है, इस बारे में मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार का उचाना में जनरल अस्पताल बनाने का कोई विचार नहीं है वहां पर ऑलरैडी 1995 से सी0एच0सी0 काम कर रहा है और वहां पर 30 बैड्ज़ हैं। एस0एम0ओ0 के अतिरिक्त वहां पर 4 डाक्टर्ज़ और निचले स्तर का सारा स्टाफ लगा हुआ है। इस सबसिडियरी हैल्थ सैंटर के नीचे 3 प्राईमरी हैल्थ सैंटर्ज तथा 22 सब-सैंटर्ज 44 गांवों की सेवा कर रहे हैं और उनको वांछित इलाज मुहैया करवा रहे हैं।

श्री भाग सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां पर बहुत बड़ी बिल्डिंग है जहां पर 100 बिस्तर का अस्पताल खोला जा सकता है। उस बिल्डिंग की चारदीवारी का काम भी होने वाला है उसको पूरा करके वहां पर अस्पताल बनाया जा सकता है।

डा0 मुनी लाल रंगा : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि वहां पर जनरल अस्पताल बनाने की कोई परपोजल नहीं है। वहां पर ऐवरेज 6 मरीज रोज आते हैं और वहां पर 30 बिस्तर का अस्पताल पहले ही है। जहां तक डाक्टरों का ताल्लुक है, वहां पर चार डाक्टर्ज लगे हुए हैं तथा लैब टैक्नीशियन, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स और दूसरा सारा स्टाफ वहां पर लगा हुआ है और लोगों को ठीक स्वास्थ्य सेवाएं वहां पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जहां तक चार-दीवारी का ताल्लुक है, उसका काम भी करवा दिया जाएगा।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को यह बताना चाहूंगा कि चुनावों के दौरान जब मुख्य मन्त्री जी उचाना गए थे तो उन्होंने उचाना में सिविल अस्पताल बनाने की बात कही थी। इस वक्त मेरे पास रिकार्ड तो अवेलेबल नहीं है। इसके साथ ही मन्त्री जी ने यह बात कही है कि वहां पर मरीज बहुत कम आते हैं तो मैं आपके माध्यम से उनको यह बताना चाहूंगा कि मरीज कम आने का कारण भी सरकार ही है क्योंकि वहां पर दवाइयां मरीजों को नहीं मिलती बल्कि दवाइयां बाजार में बेच दी जाती हैं और प्राईवेट डाक्टरों के पास इलाज करवाने के लिए लोगों को जाना पड़ता है और प्राईवेट डाक्टरों की प्रैक्टिस वहां पर खूब चल रही है। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : यह बहुत ही अच्छी बात है कि वहां पर मरीज नहीं आ रहे हैं।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, वे मरीज इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वहां पर प्राईवेट नर्सिंग होम खुले हुए हैं। हमारे डाक्टर ठीक नहीं हैं इसलिए वे प्राईवेट नर्सिंग होम में इलाज के लिए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, चीफ मिनिस्टर साहब, ने उचाना में मीटिंग करके कहा था कि वहां पर सिविल हॉस्पिटल बनवाएंगे, उसको अपग्रेड करवाएंगे। अब मंत्री जी यहां पर कह रहे हैं कि वहां पर छः मरीज ही आते हैं। अध्यक्ष महोदय, लोग प्राईवेट नर्सिंग होम में इलाज के लिए जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि इस सदन का समय बहुत ही बहुमूल्य है। यहां पर अनर्गल, बेसलैस और निराधार बातें करके सदन का समय खराब न किया जाए। माननीय सदस्य ने मुख्यमंत्री का नाम लेकर प्रश्न पूछा। यह निराधार और बेसलैस प्रश्न है। मैंने ऐसी कोई सभा उचाना में नहीं की जिसमें मैंने यह कहा हो। मैं विरोधी पक्ष के नेता से कहूंगा कि वे अपने सदस्यों को समझाएं कि इस तरह से बेसलैस, अनर्गल और निराधार बातें कह कर सदन का समय नष्ट न करें। (विघ्न)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है यह ठीक नहीं है। इनको मैम्बर को कंडम नहीं करना चाहिए। इनको तो मैम्बर के सवाल का जवाब देना चाहिए कि मैंने ऐसी बात नहीं कही है। इनको मैम्बर को कंडम नहीं करना चाहिए कि मैम्बर अनर्गल बात कह रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, कोई भी प्रश्न पूछते वक्त अनर्गल बात कही जाएगी तो उसको अनर्गल ही कहा जाएगा। धर्मबीर ने जो प्रश्न पूछा उनका प्रश्न पूछने का तरीका ठीक था। (हंसी) कितने उद्योग धन्धे हरियाणा से चले गये। (विघ्न) उनका निशाना कहीं और था, उनका निशाना पिछली सरकार के वक्त को लेकर था, हमारे वक्त में तो बहुत से उद्योग लगे हैं। लेकिन जय प्रकाश जी जो पूछ रहे हैं वह बिल्कुल अनर्गल बात पूछ रहे हैं। मैंने ऐसी कोई सभा नहीं की है जिसमें यह बात कही हो यह बिल्कुल बेसलैस और निराधार बात कर रहे हैं।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा कि आप मैम्बर के सवाल का जवाब दें और आपको उनके सवाल का जवाब देना चाहिए। आपको यह नहीं कहना चाहिए कि वे अनर्गल, बेसलैस बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप बिना इजाजत के मत बोलें।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। * * * * *

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए। (शोर एवं व्यवधान) यह क्वैश्चन ऑवर है इसमें पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं होती इसलिए आप अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इनको सदन में बिना मतलब और बिना बात के बीच में ही खड़े होकर अनर्गल बात नहीं करनी चाहिए। मैं इस बात को फिर से दोहराता हूं

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

कि एक एम0एल0ए0 का यहां पर अपनी बात कहने का अधिकार है लेकिन इनकी यह बात निराधार और बेसलैस है कि मुख्यमंत्री ने हास्पिटल बनाने की घोषणा की थी। इनका यह कहना ठीक नहीं है। इनकी यह बात निराधार है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप बैठें।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय,* * *

श्री अध्यक्ष : जो अब ये बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

Number of cases registered under Prohibition Policy

***148. Shri Ram Bhagat :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of cases registered against the defaulting persons during the period of enforcement of Prohibition Policy in the State togetherwith the number of persons arrested in this connection alongwith the total quantity of liquor seized under the said policy;

(b) whether any cases, out of the cases referred to in part (a) above, have been withdrawn due to the change in policy; if so, the number thereof; and

(c) total number of vehicles purchased/got registered by the Prohibition Department during the period from the year 1995 to 1999 ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : इस सम्बन्ध में तारांकित प्रश्न संख्या 148 का उत्तर निम्न प्रकार से है :—

(क) राज्य में मद्यनिषेध नीति के लागू होने की अवधि के दौरान दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज मामलों की कुल संख्या 1,02,340 थी तथा इस संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या 1,13,641 थी। इन व्यक्तियों से 10,53,453 विदेशी शराब की बोतलें, 3,47,971 देसी शराब की बोतलें, 22,36,444 देसी शराब की थैलियां, 10,26,201 किलोग्राम लाहन, 39,700 बीयर की बोतलें तथा 3,142 चलती भट्टियां जब्त की गई।

(ख) उपरोक्त दर्ज मामलों में से अक्तूबर, 1999 को 64165 मामले लम्बित थे उसमें से सरकार की नीति के अनुसार 37320 मामले वापस लिये जाने थे जिसमें से 24778 मामले 8 अगस्त, 2000 तक अदालत से वापस लिए जा चुके हैं।

(ग) वर्ष 1995 से 1999 तक की अवधि के दौरान मद्यनिषेध विभाग द्वारा कुल 47 (17 कारें, 30 जीपें) वाहन खरीदे/पंजीकृत करवाए गये।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री राम भगत : अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन मुख्यमंत्री और उस समय की सरकार ने जो मद्यनिषेध नीति लागू की थी उससे हरियाणा के इतिहास में एक काला अध्याय जुड़ गया था क्योंकि इससे हरियाणा के अंदर अपराध की प्रवृत्ति की 'जो काली छाया पड़ी उससे सैंकड़ों वर्षों तक हरियाणा सरकार और हरियाणा की जनता शिकार होती रहेगी। इस विषय में मैं एक दो सवाल आपके माध्यम से मंत्री जी से या मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मद्यनिषेध नीति लागू होने के कारण जो इस प्रदेश के युवक अपराधीकरण के शिकार हुए थे उसके लिए कौन दोषी है? मेरा दूसरा सवाल यह है कि इन अपराधीकरण हुए युवकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सर्वप्रथम इस तरह के गुमराह हुए उन नौजवानों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यह क्रांतिकारी काम किया है कि सरकार ने उन पर बनाए हुए मुकदमे वापस लेने का फैसला लिया है ताकि जो नौजवान जेलों में पड़े हुए थे उनको छोड़ा जा सके। जिससे वे भी आकर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें और उसके भी तीन फेसिज बनाए गए। प्रथम जनवरी 1999 में एक हज़ार रुपये पर बोटल से घटाकर 100-200 करने से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, उसके बाद 12-7-99 को फौजियों को 12 बोतलें रखने तक के मामलों में उनके विरुद्ध बनाए गए केस वापस लिए गये, तत्पश्चात् 14-10-99 को 4 बोतलें शराब और 12 बोतलें बीयर की रखने पर केस वापस लेने का निर्णय लिया गया जिससे इस प्रकार के 21740 केस पाए गये इसके पश्चात 6-1-2000 को 12 बोतलें शराब और 36 बोतलें बीयर तक रखने के केस वापस लेने का निर्णय लिया गया जिसके अन्तर्गत 17369 केस आते हैं इस प्रकार कुल 64165 केसिज में से 26845 केसिज इस तरह के आए जिनको सरकार ने वापस न लेने का निर्णय लिया जो कि 12 बोतलों से अधिक शराब रखने या चलती हुई भट्टियों के हैं।

श्री अमय सिंह : स्पीकर सर, प्रौहिबिशन के दौरान सत्तासीन राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों व शराब तस्करों के बीच में जिस तालमेल के साथ करोड़ों रुपये अनुचित तरीके से कमाए गये, उसके लिए सरकार ने क्या कोई कमीशन बैठाया है, यदि हां तो उसकी रिपोर्ट कब तक आएगी?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, यह ठीक है कि हरियाणा प्रदेश में इस प्रकार का ताना बाना था, एक म्यूचुअल ऐप्रीसिएशन थी, माफिया की, पौलिटिकल लोगों की और असरदार लोगों की। इस ताने बाने को बेनकाब करने के लिए इस सरकार ने सर्वप्रथम चैहल आयोग बनाया और उसको एक जिम्मेदारी दी कि हर मुद्दे का बारीकी से अध्ययन करके रिपोर्ट दें, ज्यों ही यह रिपोर्ट आएगी, हरियाणा प्रदेश के उन राजनीतिज्ञों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि शराबबंदी के दौरान जहरीली शराब पीने से कितने लोगों की मृत्यु हुई ?

श्री रामपाल माजरा : मेरे साथी श्री कृष्ण लाल पंवार ने एक बहुत ही अहम प्रश्न पूछा है जब हरियाणा प्रदेश में शराब बंदी की गई और उस दौरान हरियाणा प्रदेश के लोग जो भी शराब पीते थे उसके लो स्टैंडर्ड की होने की वजह से हरियाणा प्रदेश में 94 मौतें हुई और मैं आपके समक्ष इसकी जिलावार डिटेल रखना चाहूंगा - यमुनानगर में 9 मौतें हुई, कुरुक्षेत्र में 2, हिसार में 6, जींद में 11, फरीदाबाद में 5, करनाल में 7 व कुल योग 40 है। कई व्यक्ति अयोग्य भी हो

[श्री रामपाल माजरा]

गए-यमुनानगर में 1, कुरुक्षेत्र में 3 व कुल योग 4 है इसी प्रकार से गांव में भी कई ऐसे लोग हैं जिनकी जहरीली शराब पीने से मौत हुई, हरियाणा प्रदेश में अनेक प्रकार की कैजुएलिटी हुई और इस सारे मामले की जांच के लिए सरकार ने चैहल आयोग की स्थापना की है।

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि चौधरी बंसी लाल जी की सरकार के समय जो शराब बंदी की नीति 1996 में लागू की थी उसकी सफलता और असफलता के लिए कोई सर्वे कराया गया था क्योंकि 1997 में समाचार पत्रों में पढ़ा था कि एक प्राइवेट एजेंसी से सर्वे कराया गया था। उसकी वस्तुस्थिति क्या है और उस सर्वे रिपोर्ट पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, रावत साहब ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। प्रोहिबीशन जुलाई, 1996 में लागू की गई थी। शराब बंदी नीति की सफलता और असफलता की जांच करने के लिए दिसम्बर 1996 में डॉ0 प्रमोद जी को यह काम सौंपा गया था और उन्होंने मार्च, 1997 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी उसका नाम इंस्टीच्यूट ऑफ डिवल्पमैंट एण्ड इकोनोमिक कम्युनिकेशन था उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस प्रकार के तथ्य उजागर किए थे। जिस पर अनेक प्रकार की टिप्पणियां हुई थी और वे टिप्पणियां हरियाणा प्रदेश की तरक्की के लिए हरियाणा प्रदेश के ताने बाने के लिए इस प्रकार की थी कि उस रिपोर्ट को दबा दिया गया और उसी सर्वे की रिपोर्ट में हरियाणा प्रदेश ने यह माना कि हरियाणा प्रदेश के 30 हजार नौजवानों को उस गर्त में धकेल दिया गया है। स्पीकर सर, उस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि बहुत से आदमी जो शराब पीते हैं उनकी पत्नियां रोती थी क्योंकि उनके आदमी पड़ोसी राज्यों में शराब पीने जाते हैं और कई तो वापस ही नहीं आते। और इस तरीके से हरियाणा प्रदेश को इसका नुकसान हुआ। (विघ्न) हरियाणा प्रदेश को शराब बंदी से 1400 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जवाब नहीं दे रहे हैं बल्कि ये तो भाषण दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बैठ जाइये। माजरा साहब आप कंटीन्यू रखिये।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, मैं उस सर्वे रिपोर्ट को पढ़ रहा हूं जिसके कारण सामाजिक स्तर में गिरावट आई और उस समय की सरकार के समय में उसको दबा दिया गया था। उस रिपोर्ट में एक व्यक्तिगत स्वतंत्र प्रहार हुआ था इस बात का विशेष तौर पर उस सर्वे रिपोर्ट में उजागर हुआ था और जनता को अनेक प्रकार की परेशानियां हुई थी और माफिया का फैलाव हुआ था और इतना ही नहीं उस सर्वे रिपोर्ट में यह कहा गया था कि उस सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद सरकार को शराबबंदी को लिफ्ट कर देना चाहिये था परन्तु माफिया के दबाव में आकर उस शराबबंदी की नीति को कंटीन्यू रखा गया। (शेम-शेम)

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, सदन में सरकार की तरफ से जो जवाब आया है उसमें मंत्री जी ने बड़े उत्साहपूर्वक कहा है कि बड़े क्रान्तिकारी कदम सरकार ने यह उठाये कि जो युवक शराबबंदी के समय रास्ता भटक गये थे और माफिया ग्रुप में फंस कर जेलों में सड़ रहे थे उनको सही रास्ते पर लाने के लिये उनके मुकदमें वापिस लेकर उनको जेलों से रिहा किया गया है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आज हरियाणा में कितनी कानून-व्यवस्था खराब हुई है, कितने मर्डर हो रहे हैं और लूट खसोट हो रही है ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, आप भाषण न दें अपना क्वैश्चन पूछें।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुनिए आज जो वारदातें हरियाणा में हो रही हैं, इनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी बतायें क्या ये वारदातें उन नौजवानों द्वारा तो नहीं हो रही जो जेलों से रिहा किये गये थे ?(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये। (विघ्न) (इस समय कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये)

श्री अमर सिंह ढांडे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि शराबबंदी की आड़ में हरियाणा में अपराध माफिया में कितनी बढ़ौतरी हुई है ?(शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि शराबबंदी के वक्त हरियाणा में 16 साल से 20 साल की आयु के नौजवानों ने तस्करी शुरु की। उन नौजवानों ने केवल तस्करी ही शुरु नहीं की बल्कि अच्छी गाड़ियां भी खरीदी। उस वक्त का रिकार्ड बताता है कि शराबबंदी के समय लगभग 8000 जीपें, टाटा सुमो खरीदी गई तथा उसी रिकार्ड में लिखा हुआ है कि माफिया के पास हमारी पुलिस से कहीं ज्यादा अस्त्र-शस्त्र, अच्छे साधन थे, जीपें, कारें, टेलीफोन और मोबाइल थे। शराबबंदी के समय हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को जिस प्रकार अपराधी बनाया गया उससे हरियाणा प्रदेश को कितना नुक्सान हुआ है इसको किसी प्रकार मापा नहीं जा सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

Opening of a Land Development Bank at Ambala Cantt.

***91. Sh. Jasbir Singh Mallour :** Will the Minister for Cooperation be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to open a Cooperative Land Development Bank in Ambala Cantt; if so, the time by which the said Bank is likely to be opened ?

सहकारिता मन्त्री (श्री करतार सिंह भडाना) : नहीं, श्री मान जी।

श्री जसबीर सिंह मलौर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सहकारिता मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि मेरे हल्के नंगल और हल्का मुलाना के लगभग 60 गांव अम्बाला कैण्ट के पास पड़ते हैं। इन गांवों के लोगों को लोन लेने के लिए भूमि विकास बैंक अम्बाला शहर आना पड़ता है जिस कारण उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर अम्बाला कैण्ट में भूमि विकास बैंक खोल दिया जाए तो उन गांवों के लोगों को बहुत फायदा होगा। यह मांग लगभग 10 सालों से चली आ रही है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अम्बाला कैण्ट में भूमि विकास बैंक खोलने का आश्वासन दें ताकि किसानों की दिक्कत दूर हो सके।

श्री करतार सिंह भडाना : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि वहां पहले से ही काफी बैंक खुले हुए हैं और एक बैंक खोलने में काफी खर्चा आता है। अगर किसी को किसी तरीके की सुविधा नहीं मिल रही है तो आप वह बताएं बाकी अम्बाला कैण्ट में भूमि विकास बैंक खोलने के नार्म्स अभी पूरे नहीं होते इसलिए यह बैंक नहीं खोला जा सकता।

Opening of Government College at Kaithal

***134. Shri Lila Ram :** Will the Minister of State for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government College at Kaithal city; and

(b) if so, the time by which the said college is likely to be opened ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ0 बहादुर सिंह) :

(क) जी, नहीं।

(ख) (क) के दृष्टिगत, प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री लीला राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि कैथल ऐसा जिला हैडक्वाटर है जहां पूरे कैथल में एक भी सरकारी कालेज नहीं है। हजारों छात्र-छात्राएं 30-40 किलोमीटर दूर कालेज में पढ़ने जाते हैं। अगर कैथल के अंदर एक सरकारी कालेज बना दिया जाये तो वहां पर भी शिक्षा में सुधार हो सकता है।

चौ0 बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, कैथल जिले में 9 कालेज हैं जिनमें तकरीबन 8000 बच्चे पढ़ रहे हैं। एक कालेज में तकरीबन 1000 बच्चे पढ़ते हैं इसलिए कैथल के अंदर अलग से कालेज बनाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री इंद्रजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जब लोग निवेदन करते हैं कि हमारे शहर में कालेज बना दिया जाए तो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि आप कमरे बना कर दे तो हम वहां पर कालेज बनवा देंगे। कई जगहों पर कालेज बना दिये गये हैं लेकिन वहां पर कमरे नहीं हैं लेकिन कनीना शहर के अंदर चौटाला साहब के कहने के मुताबिक वहां के लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से 24 कमरे बनवा दिए हैं लेकिन वहां पर अभी तक कालेज नहीं बनाया गया है। क्या वहां पर भी कालेज बनाया जाएगा ताकि वहां के युवकों का भी शिक्षा का स्तर सुधर सके।

चौ0 बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई भी कालेज नहीं बनाया गया है जहां पर कमरे न हों और कनीना के बारे में भी विचार कर लिया जायेगा कि वहां पर कालेज बनाना है या नहीं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जैसे कैथल के बारे में कहा गया कि वहां पर सरकार का कालेज बनाने का कोई प्रपोजल नहीं है। मैं शिक्षा मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां-जहां पर सरकार का प्रपोजल कालेज बनाने का है इस बारे में बतायें।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, चौधरी भूपेन्द्र सिंह जी सीनियर मोस्ट नेता हैं, ये एम0पी0 भी रहे हैं। वह प्रश्न केवल कैथल के बारे में ही था। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यह मुझे भी मालूम है कि वह प्रश्न सिर्फ कैथल से ही संबंधित है। लेकिन पूरे सदन को भी मालूम हो जायेगा कि सरकार कहां कहां कालेज बनाना चाहती है।

चौ0 बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, चौधरी भूपेन्द्र सिंह जी अपना सवाल अलग लिखकर दे दें, इनको जवाब दे दिया जाएगा।

तारांकित प्रश्न संख्या 150

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री कंवर पाल सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Construction of New Bus Stand, Faridabad

***104. Shri Krishan Pal :** Will the Minister for Transport be pleased to state whether there is any proposal under consideration of Government to construct a new bus stand in Sector-12, Faridabad, if so, the time by which the said bus stand is likely to be constructed.

परिवहन मन्त्री (श्री अशोक कुमार) : श्री मान जी, फरीदाबाद के सैक्टर-12 में बस स्टैण्ड के निर्माण का मामला विचाराधीन है। इसका निर्णय, निकट भविष्य में लिया जाएगा।

श्री कृष्ण पाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री से पूछना चाहूंगा कि इस मामले पर कब तक विचार कर लिया जाएगा। क्या इस काम के लिए निकट भविष्य की तारीख तय करेंगे?

श्री अशोक कुमार : अध्यक्ष महोदय, जैसे-जैसे लोगों की जरूरतें बढ़ती जाती हैं, उसी हिसाब से बस स्टैण्ड बना दिए जाते हैं। माननीय साथी ने फरीदाबाद के सैक्टर-12 में बस स्टैण्ड बनाने का जिक्र किया है। इसके बारे में 28-5-97 को फरीदीबाद के महाप्रबंधक की रिपोर्ट मंगाई गयी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि बस स्टैण्ड की बजाय एक बड़ा बस क्यू शैल्टर बना दिया जाए। इसके बाद इस संबंध में माननीय तत्कालीन परिवहन मंत्री श्री कृष्णपाल की अध्यक्षता में बोर्ड की मीटिंग हुई जिसमें निर्णय लिया गया था कि सैक्टर 12 में बस अड्डे की अति आवश्यकता है। अब दोबारा उसका सर्वे कराया गया है, सैक्टर 12 जो है वह बल्लभगढ़ बस अड्डा के नजदीक है और लोगों की जरूरत पूरी करता है। आगे जैसे जैसे जरुरत बढ़ेगी तो इस डिमाण्ड को पूरा किया जाएगा।

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत हथीन में बस अड्डा बनाने की घोषणा की थी वह बस अड्डा कब तक बन जाएगा ?

श्री अशोक कुमार : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री चौ0 ओम प्रकाश चौटाला जी ने सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत हथीन में बस अड्डा बनाने की जो घोषणा की थी उसे जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा।

श्री कृष्ण पाल : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि पिछली सरकार में सैक्टर 12 का बस अड्डा बनाने के लिए जगह तय हुई थी और उसके लिए हुड्डा द्वारा जगह इयर-मार्क भी की गई थी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद महानगर में हर साल 7-8 फीसदी आबादी बढ़ जाती है और जो बल्लभगढ़ का बस स्टैण्ड है वह कब बना था और उसके बाद कितनी आबादी बढ़ गई है। अध्यक्ष महोदय यह तो आप भी जानते हैं। हुड्डा द्वारा जगह इयर-मार्क करके सरकार को रिकोमैण्डेशन भेज दी गई थी और यह बस अड्डा बनना शुरू होने वाला था, बोर्ड की रिपोर्ट भी उसके हक में थी तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि वह रिपोर्ट कैसे बदल गई और यह बस-अड्डा शुरू क्यों नहीं हुआ ?

श्री अध्यक्ष : कृष्णपाल जी, आप सवाल पूछें।

श्री कृष्णपाल : सर, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : कृष्णपाल जी, आप सवाल थोड़ी पूछ रहे हैं, आप तो जवाब दे रहे हैं।

श्री कृष्णपाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि सैक्टर-12 में बस-अड्डा बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पर काफी आबादी बढ़ी है। इसलिए क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि यह बस अड्डा कब तक बना दिया जाएगा ?

श्री अशोक कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने जवाब में पहले ही बता चुका हूं कि यह विचाराधीन है। जहां तक लोगों की जरूरत की बात है तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जिस समय ये मंत्री थे इन्होंने अपने कार्यकाल में 32 क्यू शैल्टर बनवाये थे जिसमें से आज ज्यादातर क्यू शैल्टरों में या तो चाय की दुकानें खुली हुई हैं या फिर आवारा पशु घूम रहे हैं। हमारी सरकार लोगों की जरूरत के मुताबिक ही बस अड्डे या क्यू शैल्टर बनाएगी।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि श्री कृष्णपाल जी ने सैक्टर 12 बस स्टैण्ड बनाने के लिए जो सवाल किया है उससे पहले इस बात की जरूरत है कि बल्लभगढ़ के इर्द-गिर्द जो बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल बैल्ट है, वहां के लोगों की मांग है कि जो वहां पर बस स्टैण्ड के साथ एक वर्कशाप भी अटैच है अगर उसको पूरी तरह से ठीक ठाक करके एक अच्छा बस स्टैण्ड बन जाए तो लोगों की समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। जब मुख्य मंत्री जी वहां गये थे तो बल्लभगढ़ बस स्टैण्ड की एक्सटैंशन के सम्बन्ध में एक डैपूटेशन भी सी0 एम0 साहब से मिला था। क्या मंत्री महोदय सदन को आश्वासन देंगे कि वे पहले बल्लभगढ़ बस स्टैण्ड के ऐक्सटेंशन की मांग को पूरा करेंगे ?

श्री अशोक कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि बल्लभगढ़ बस अड्डा 29-5-84 को बना था और 24.75 एकड़ भूमि इसके लिए अधिग्रहण की गई थी जिसमें से 16.75 एकड़ भूमि पर झुग्गी झोपड़ियां बसी हुई हैं और केवल 8 एकड़ लैण्ड में ही बस स्टैण्ड व वर्कशाप है। ये जो नाजायज कब्जे हैं इसके सम्बन्ध में पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट ने स्टे आर्डर किए हुए हैं। स्टे आर्डर को वैकेट करवाकर हम जल्दी ही इस बारे में कार्यवाही पूरी करेंगे।

Improvement in Medical Facilities

***105. Shri Anil Vij** : Will the Minister of State for Health be pleased to State—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to improve the present position of medical facilities at Civil Hospital, Ambala Cantt with financial assistance of European Commission; and

(b) if so, the details thereof

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डॉ0 मुनी लाल) :

(क) जी हां, सिविल सर्जन, अम्बाला से एक प्रस्ताव दिनांक 16-08-2000 को प्राप्त हुआ है, जो कि यूरोपियन कमीशन से वित्तीय सहायता के लिए विचाराधीन है।

(ख) वित्तीय सहायता का यह प्रस्ताव विचाराधीन है। सरकारी अस्पताल, अम्बाला कैण्ट की चिकित्सा सुविधाओं के प्रस्ताव का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है :-

मूल्य सार (रुपए लाखों में) सामान्य अस्पताल, अम्बाला कैण्ट में मातृ एवं नवजात शिशु की देखभाल

	अक्तूबर-दिसम्बर	जनवरी-मार्च	कुल मार्च तक	मार्च 2001 के बाद
क. अपुनरावृति लागत				
1. नवीनीकरण सहित जनकार्य	20-0	50-0	70-0	120-0
2. गाड़ियां	0	4-0	4-0	
3. चिकित्सा साजो-सामान	5-0	10-0	15-0	45-0
4. अचिकित्सा साजो-सामान	10-0	5-0	15-0	
5. प्रशिक्षण व कार्यशाला	0-65	0-65	1-3	
6. अन्य अचिकित्सा साजो-सामान	1-0	1-0	2-0	
ख. पुनरावृति लागत				
1. ठेका आधार कर्मचारी की तनख्वाह	2-0	2-5	4-5	आवश्यकतानुसार
2. विशेषज्ञ	2-0	2-0	4-0	यथोचित
3. स्वास्थ्य कनज्यूमेबल	2-5	2-5	5-0	यथोचित
4. अस्वास्थ्य कनज्यूमेबल	1-0	1-0	2-0	यथोचित
5. गाड़ियां व पेट्रोल	0-3	0-3	0-6	यथोचित
6. भवन मरम्मत	0-5	0-5	1-0	यथोचित
7. अन्य पुनरावृति लागत	1-0	1-0	2-0	यथोचित
कुल लागत	**45-95**	**80-45**	**126-4**	**165-0**

डॉ0 मुनी लाल रंगा : इसके अलावा स्पीकर साहब, अम्बाला कैंट का जो सामान्य अस्पताल है उसकी आधुनिकिरण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। जहां तक यूरोपियन कमीशन की बात है उनसे सहायता के बारे में नवम्बर 1999 में कुफरी में पूरे भारत के सभी राज्यों

[डॉ0मुनी लाल रंगा]

का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें यह विचार किया गया कि अस्पतालों को अपग्रेड करना है, आधुनिकिकरण करना है। मुझे सदन को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हरियाणा सरकार के प्रयासों से पूरे भारत में जहां पर 21 अस्पतालों का आधुनिकिकरण होना है उनमें हरियाणा प्रदेश के तीन अस्पताल अम्बाला कैंट, यमुनानगर और करनाल शामिल हैं जबकि पूरे गुजरात में एक, मध्य प्रदेश में एक, और पंजाब में कोई नहीं है। जहां तक सहायता की बात है, उसके लिए हमने जो एक्शन प्लान बनाया था उसके बारे में अम्बाला जिला के उपायुक्त, विधायक,एम0पी0, वहां के एन0जी0ओज0 के साथी और वहां के जिला पार्षदों के साथ बैठ कर यह विचार किया गया कि अस्पतालों का आधुनिकिकरण कैसे किया जाए और उनमें कहां-कहां पर कमी हैं? हमने यूरोपियन कमीशन के सामने यह रखा कि अस्पताल की बिल्डिंग बनाई जाए, उसमें पार्किंग की व्यवस्था की जाए, कैंटीन की व्यवस्था की जाए, वहां पर दवाईयों की दुकान की व्यवस्था की जाए, अटैंडैंट्स के रहने के लिए लेबर रूम्ज की व्यवस्था की जाए या लेबर रूम्ज अपग्रेड किए जाएं और जहां तक सर्जरी की बात है उसके लिए ओ0टी0 की व्यवस्था की जाए, ओ0टी0 टेबल की व्यवस्था की जाए। इस तरह की सभी व्यवस्थाओं के लिए 2 करोड़ 91 लाख रुपये की राशि खर्च करने का प्रस्ताव सरकार के पास आया हुआ है उसके बारे में सरकार की एक मीटिंग हो चुकी है और दूसरी मीटिंग इसी महीने हो जाएगी उसमें इस बारे में विचारविमर्श करके प्रस्ताव यूरोपियन कमीशन के सामने भेज दिया जाएगा और यूरोपियन कमीशन अक्तूबर में मीटिंग कर रहा है जिसमें अधिक से अधिक सहायता दे करके इन तीनों अस्पतालों का आधुनिकिकरण/ नवीनीकरण किया जाएगा। मार्च के बाद अगली प्लान में यह रखा जाएगा कि अम्बाला जिला में जितनी पी0एच0सीज0 और सी0एच0सीज0 हैं उनको साथ जोड़ करके उनका इसी तरह से नवीनीकरण किया जाए। मैं यह भी सदन को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार के प्रयासों से केन्द्रीय सरकार ने फरीदाबाद में दो अस्पताल, एक 30 बैड का सैक्टर 3 में और दूसरा सैक्टर 31 में मंजूर किया है। ये हमारे स्वास्थ्य विभाग के प्रयास रहे हैं। यूरोपियन कमीशन की सहायता से हम हरियाणा के अस्वस्थ लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे सकेंगे। यह हमारा प्रयास है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए यूरोपियन कमीशन से जो सहायता लेने की योजना तैयार की गई है उसके बारे में मंत्री महोदय ने विस्तार से जवाब दिया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो स्टेट सैक्टर रिफोर्म सैल की प्रोपोजल प्रस्तुत की गई है इसके बारे में कब तक कार्यवाही पूर्ण कर लेंगे ?

डॉ0 मुनी लाल रंगा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रोपोजल 16-8-2000 को आई है उसके बाद इसके बारे में एक मीटिंग कर चुके हैं और दूसरी मीटिंग इसी माह में करके उसमें इस बारे में विचार करके जल्दी ही प्रस्ताव यूरोपियन कमीशन के सामने भेज दिया जाएगा।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यूरोपियन कमीशन ने यह सहायता देने के बारे में कोई सजैशंज या कोई कंडीशन लगाई है ?

श्री अध्यक्ष : अब क्वैश्चन आवर समाप्त होता है।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Declaration of Nuh as District

*59. **Sh. Karan Singh Dalal :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to declare Tehsil Nuh in District Gurgaon as District; if so, the time by which it is likely to be declared as such ?

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : जी, नहीं।

Widening of Roads

*81. **Shri Dharambir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state the dates on which the work of widening of the following roads were started togetherwith the time by which these will be widened :

1. from Tosham to Jui.
2. from Tosham to Behal; and
3. from Tosham to Siwani.

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : तोशाम से जुई, तोशाम से बहल तथा तोशाम से सिवानी तक की सड़कों को चौड़ा करने का कार्यक्रम क्रमशः अगस्त, 1996, मार्च, 1997 तथा अगस्त, 1996 में आरम्भ किया गया था। जैसे ही धनराशि उपलब्ध होगी ये कार्य पूर्ण कर लिए जायेंगे।

Ameliorating the Condition of Weavers

*13. **Sh. Jai Parkash Gupta :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Govt. is aware of the fact that the weavers in the State are leading a life of object poverty; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Govt. to ameliorate the condition of the weavers, if so, the details thereof and the time by which the said plan likely to be implemented ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) प्रश्न में वर्णित की गई स्थिति तथ्यों पर आधारित नहीं है। वर्ष 1987-88 में विकास आयुक्त (हथकरघा), वस्त्र मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा करवाई गणना के अनुसार हरियाणा राज्य के बुनकरों की मासिक आय 2883 रुपये थी जोकि देश में सबसे अधिक थी।

(ख) राज्य सरकार के पास कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Completion of Roads

***90. Shri Nafe Singh Rathi :** Will the Chief Minister be pleased to state whether the Govt. is aware of the fact that the construction work of road from village Kasar (Jhajjar) to village Nuna Majra has been lying incomplete for the last about 5 years; if so, the reasons thereof ?

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां, श्रीमान जी, धन के अभाव के कारण यह कार्य अधूरा पड़ा हुआ है।

Bus Depots Running in Loss

***53. Shri Jitender Singh Malik :** Will the Minister for Transport be pleased to state the total number of Haryana Roadways depots, if any, running in loss in the State at present togetherwith the reasons in details thereof ?

परिवहन मंत्री (श्री अशोक कुमार अरोड़ा) :

1. हरियाणा राज्य परिवहन के लगभग सभी डिपू वर्ष 1995-96 से हानि में चल रहे हैं।
2. हानि के मुख्य कारण निम्न हैं :-
   * डीजल व अन्य प्रयोग में लाई जा रही वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि।
   * वेतनमानों को संशोधित करने से वेतन और वेज-बिलों में वृद्धि।
   * नकारा बसों का न बदला जाना।

Opening of Government College

***43. Shri Jai Parkash Barwala :** Will the Minister of State for Education be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of Govt. to open a Govt. college in Barwala Constituency; and

(b) if so, whether the land has been acquired for the construction of the building of the above said college ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री बहादुर सिंह) :

(क) जी, नहीं

(ख) "क" के दृष्टिगत, प्रश्न ही नहीं उठता।

Leakage in Government Houses

***28. Shri Jagjit Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that there is leakage/seepage in type-II Government Houses recently built up by the Public Works Department (B&R) Haryana in Sector 39-B, Chandigarh; and

(b) whether it is also a fact that the cover on the main hole of the sewerage inside the houses has not been provided in the aforesaid houses; and

(c) whether any checking/inspection has been made before given the completion certificate; if not, the reasons thereof; and

(d) whether any officers/officials held responsible for the said lapse, if so, the names thereof togetherwith the action taken against them?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) जी हां।

(ख) हां, उन मकानों में जिन में वास नहीं है।

(ग) हां, पूर्ति प्रमाण-पत्र अभी नहीं दिया गया।

(घ) अभी तक नहीं।

Setting up of 66KV Sub-station at Hassanpur

***34. Shri Udai Bhan :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to set up a 66 KV Sub-station at Hassanpur in District Faridabad; and

(b) if so, the time by which the said Sub-station is likely to be set up at Hassanpur ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) हां, श्रीमान जी, फरीदाबाद जिले में हसनपुर में एक 66 के0वी0 उपकेन्द्र स्थापित करने का एक प्रस्ताव है।

(ख) यह प्रस्ताव है कि ऋण सहायता की व्यवस्था करने के लिए इस स्कीम को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को भेज दिया जाए। स्कीम के बनाने तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से स्वीकृति मिलने में सामान्यतया छः महीने का समय लग जाता है। उसके बाद उपकेन्द्र के निर्माण में सामान्य रूप से 18 महीने का समय लग जाता है।

Canal Based Water Supply Scheme for Sonipat City

***16. Shri Dev Raj Dewan :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the work on the Canal based water supply scheme for Sonipat City has been started; if so, the present position thereof

[Shri Dev Raj Dewan]

togetherwith the amount out of the sanctioned amount which has been spent so far thereon; and

(b) the time by which the Scheme, referred to in part (a) above, is likely to be completed?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) जी हां। 410 लाख रुपये के अनुमान के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है। इस कार्य के लिए 190 लाख रुपये की दी गई राशि में से 180.29 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इस योजना का 45 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

(ख) योजना का पूर्ण होना भारत सरकार से शेष धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

Upgradation of 66 KV Sub-station Chhainsa

***68. Shri Rajinder Singh Bisla :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that 66 KV Sub-station, Chhainsa, Tehsil Ballabgarh, District Faridabad was upgraded; if so, the date of upgradation thereof; and

(b) whether the construction work of the said Sub-station has been started; if so, the latest position thereof togetherwith the time by which it is likely to be completed/commissioned ?

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) नहीं, श्रीमान जी, 12.5/16 एमवीए 66/11 के0वी0 स्थापित क्षमता के साथ 33 के0वी0 उपकेन्द्र छैन्सा की क्षमता वृद्धि 66 के0वी0 के स्तर तक करना तथा इसके साथ ही 66 के0वी0 सह प्रसार लाईन से सम्बन्धित कार्य एक स्वीकृत कार्य है।

(ख) धन प्राप्त हो जाने पर यह कार्य 18 माह में पूर्ण किया जाएगा, जिसके लिए स्कीम पहले ही ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली के पास भेजी जा चुकी है।

घोषणाएं

(क) अध्यक्ष द्वारा—

(i) सभापतियों के नामों की सूची

Mr Speaker : Hon'ble Members, under 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the

following members to serve on the Panel of Chairperons:—

1. Shri Bhagwan Sahai Rawat
2. Shri Rajinder Singh Bisla
3. Shri Ajay Singh Yadav
4. Shri Chander Bhatia

(ii) याचिका समिति

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I nominate the following members to serve on the Committee on Petitions under Rule 303(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

1.	Shri Gopi Chand Gahlot, Deputy Speaker	Chairperson
2.	Shri Bhagwan Sahai Rawat	Member
3.	Smt. Veena Chhibber	Member
4.	Shri Abhey Singh Chautala	Member
5.	Shri Zakir Hussain	Member

Mr. Speaker : Now, the Secretary will make announcement.

(ख) सचिव द्वारा—

राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी

सचिव :- महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने मार्च, 2000 में हुए सत्र में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूं।

Statement

March Session, 2000

1. The Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2000.
2. The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2000.
3. The Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2000.
4. The Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill, 2000.
5. The Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 2000.
6. The Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 2000.
7. The Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 2000.
8. The Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill, 2000.

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now I report the time table of various business fixed by the Business Advisory Committee.

The Committee met at 10.00 a.m. on Tuesday, the 5th September, 2000 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

"The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs, the Assembly, whilst in Session, shall meet on Tuesday at 2.00 p.m. and adjourn at 6.30 p.m. without question being put and on Wednesday, the 6th September, 2000 at 9.30 a.m. and adjourn after conclusion of Business entered in the list of Business for the day.

The Committee, after some discussion also recommends that the Business on 5th and 6th September, 2000 be transacted by the Sabha as under :—

Tuesday, the 5th September, 2000	1. Obituary References. 2. Question Hour. 3. Presentation and adoption of First Report of the Business Advisory Committee. 4. Papers to be laid/re-laid on the Table of the House.
Wednesday, the 6th September, 2000 (9.30 a.m.)	1. Questions Hour. 2. Motion under Rule 15 regarding non-stop sitting. 3. Motion under Rule 16 regarding adjournment of Sabha sine die. 4. Legislative Business. 5. Any other Business."

Mr. Speaker : Now, the Minister will move the motion that this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

> That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

श्री भजन लाल (आदमपुर) : अध्यक्ष महोदय हमारे सभी विधायकों के लिए हरियाणा के इतिहास के लिए और हरियाणा के लोगों के लिए यह बहुत ही लज्जाजनक बात है कि सैशन सिर्फ दो दिन का हो रहा है जबकि आम आदमी को यह पता था कि यह सैशन 4 दिन का हो रहा है। ये दो दिन में ही**चाहते हैं, ऐसा इनको क्या खतरा हो गया है। यदि इनको इतना ही अधिक खतरा है तो ये दो दिन का सैशन करने की बजाये इसको आज ही खत्म कर देते, फिर अगले दिन की भी जरुरत नहीं थी। सिर्फ दो दिन का सैशन करना कोई अच्छी बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप भी जब अपोजिशन में बैठते थे तो आप भी कम टाईम के लिए अपोज करते थे और आप भी बराबर मांग करते थे कि सैशन लम्बा होना चाहिए। ये चार दिन की बजाये दो दिन में ही***चाहते हैं जबकि सारा काम बाकी पड़ा है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। (विघ्न)

प्रो0 सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय,**शब्द जो ये कह रहे हैं, उसको कार्यवाही से डिलीट करवा दें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, इस शब्द को रिकार्ड न किया जाये।

श्री भजन लाल : आपके रूम में भी बात आई थी और मैंने कहा था कि यह अन्याय हो रहा है। अगर आप***की जगह कोई और बात कहना चाहते हैं तो हम मान लेंगे। स्पीकर सर प्रदेश की जनता के साथ यह बड़ा अन्याय हो रहा है। बड़े-बड़े मसले आज विचाराधीन हैं, आज प्रदेश में लॉ एण्ड आर्डर की कितनी बुरी हालत है और किसानों को बड़ी भारी परेशानी है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इस शब्द को रिकार्ड न किया जाये।

प्रो0 सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, लीडर ऑफ दि अपोजिशन जो बोल रहे हैं वह रैलेवैन्ट नहीं है (विघ्न)।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने उस वक्त भी कहा था कि दो दिन के सैशन के लिए हम सहमत नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, बिजनैस ऐडवाईज़री कमेटी की मीटिंग आपने अटैंड की थी और उसमें इस प्वायंट पर डिस्कशन भी हुई थी। यह देखा गया था कि कुल 8 बिल हैं (विघ्न) इतना ज्यादा बिजनैस नहीं है कि सैशन को चार दिन तक चलाया जाए इसलिए इसको दो दिन का किया गया था।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं वहां से वाकआउट करके गया था या नहीं ? (विघ्न) क्या मैं इससे सहमत था, इस बात से सहमत न होते हुए ही मैं वहां से उठ कर चला गया था और उठ कर चला जाना वाकआउट ही है। (विघ्न)

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : यह भी तय हुआ था कि आप यहां पर वाकआउट नहीं करेंगे (विघ्न)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वहां यह कह कर आया था कि मैं इससे सहमत नहीं हूं इसलिए मैं जा रहा हूं। आप बताइये कि मैंने ऐसा बोला था या नहीं। अध्यक्ष महोदय, यह लोगों के साथ बहुत अन्याय हो जाएगा खास कर सभी मैम्बर साहेबान के साथ अन्याय होगा चाहे वे मैम्बर इनकी पार्टी के हों और चाहे हमारी पार्टी के हों। प्रदेश की जनता के साथ भी यह बहुत बड़ा अन्याय होगा। प्रदेश की जनता तथा अखबार इस सरकार के बारे में क्या कहेंगे ? अध्यक्ष महोदय, क्या यह सरकार कहलाने के लायक है ? यह सरकार दो दिन में ही भागना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरी आपसे बिनती है कि आप चार दिन का प्रोग्राम बनाएं जैसे कि पहले आपने दिया हुआ है। (विघ्न)

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आपने जो सदन का सैशन बुलाया है वह सरकार की सहमति से बुलाया है, अपोजिशन की सहमति से आपने सैशन नहीं बुलाया है। सरकार ने खुद गवर्नर साहब और स्पीकर साहब को लिख कर दिया है कि सरकार के पास यह बिजनैस लाया जाना जरुरी है इसलिए हाउस बुलाया जाए। अध्यक्ष महोदय, हर एम0एल0ए0 के पास बाकायदा सम्मनिंग हुई है कि चार दिन का यह प्रोग्राम होगा और इसलिए आप पांच तारीख को हाउस में आएं। हम अपनी पूरी तैयारी करके आपकी सम्मनिंग के मुताबिक हाउस में आए हैं। अगर चार दिन के बाद हम और टाईम मांगें तो सरकार कह सकती है कि काम नहीं है। कमाल की बात तो यह है कि आपने आज ही कह दिया कि कल सैशन खत्म कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, आप सरकार की वकालत करें यह ठीक नहीं है आपको तो हमारी वकालत करनी चाहिए क्योंकि आपकी नजर में तो सभी लोग एक सरे हैं, अगर विपक्ष की बात आप नहीं सुनेंगे तो विपक्ष के विधायक किस के पास जा कर अपील करेंगे (विघ्न) सम्पत सिंह जी, जहां तक आप खर्चा घटाने की बात कह रहे हैं तो इस हाउस के काम करने से सरकार का बहुत ज्यादा खर्चा नहीं बच जाएगा (विघ्न एवं शोर)

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर सर, अभी माननीय विपक्ष के नेता ने बी0ए0सी0 की रिपोर्ट पर ऐतराज किया, ठीक है। इन्होंने कहा कि मैं एग्री नहीं करता लेकिन साथ ही यह भी कमिट किया कि हाउस से वाक आउट नहीं करेंगे (विघ्न)।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हम हाउस से वाकआउट नहीं करेंगे लेकिन अगर आप से गलत काम होंगे तो एक बार नहीं हम बार-बार वाकआउट करेंगे (विघ्न) इनके कहने से वाकआउट नहीं करेंगे अगर वाकआउट करेंगे तो अपनी मर्जी से वाकआउट करेंगे। (विघ्न)

प्रो0 सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, सवाल बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट का था कि ये इस पर वाकआउट नहीं करेंगे। ये जो विपक्ष के नेता हैं इनको विपक्ष में आने का मौका पहली बार मिला है। विपक्ष के नेता के रूप में बैठने के लिए इनको पहली बार मौका मिला है।

श्री भजन लाल : * * * * *।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी जो भी बोल रहे हैं वह रिकार्ड नहीं किया जाए।

प्रो0 सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मांगे राम गुप्ता जी और भजन लाल जी ने कहा कि चार दिन का बिजनैस फिक्स हुआ था। मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि यह गवर्नमैंट तय नहीं

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

करती है। स्पीकर सर, 8 आर्डिनैंस की बात है इनमें से 5 बिल्ज में कन्वर्ट होने हैं। पांचों एक ही नेचर के हैं और छोटे हैं। यह बिजनैस तो आज भी ट्रांजैक्ट हो सकता था लेकिन हमने सोचा कि आप सब को बोलने का मौका मिलना चाहिए इसलिए गवर्नमैंट ने और स्पीकर साहब ने इस बिजनैस के लिए दो दिन निश्चित किए हैं। आप सब के पास बिल पहुंच गए हैं और हम चाहते हैं कि आप सब कल पूरी तैयारी करके आएं और उन पर बोलें। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन्होंने दो दिन वाली बात कही है और लज्जा की बात कही है। अध्यक्ष महोदय, 4 जुलाई, 1992 को एक दिन का सैशन बुलाया था। उस वक्त मुख्य मंत्री कौन थे।

श्री भजन लाल : उस वक्त आप हाउस में नहीं थे।

प्रो0 सम्पत सिंह : उस वक्त मैं विपक्ष का नेता था।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ये सारा इल्जाम आप पर डालना चाहते हैं कि दो दिन का सैशन आपने किया है ये तो चार दिन का सैशन लाना चाहते थे।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी आप पहले सम्पत सिंह जी की बात सुन लें फिर अपनी बात कहना।

प्रो0 सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से अगस्त, 1975 में भी भजन लाल जी सरकार में मंत्री थे उस वक्त भी एक दिन का अधिवेशन आया था। 2 जून, 1986 में एक दिन का सैशन आया था और उस वक्त भी भजन लाल जी मुख्य मंत्री थे। (शोर एवं व्यवधान) आप पहले मेरी बात सुनें। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो लज्जा वाली बात कही है तो क्या उस वक्त इनकी लज्जा गांव चली गई थी। अध्यक्ष महोदय, एक दिन का सैशन और दो दिन का सैशन इनके टाईम में हुआ है। अगस्त, 1975, 2 मई, 1975, 3 सितम्बर, 1979 को जो सैशन हुए थे उस वक्त ये चीफ मिनिस्टर थे।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। जब हमने दो दिन का सैशन बुलाया था तो दो दिन का नोटिस दिया था जब एक दिन का सैशन बुलाया था तो एक दिन का ही नोटिस दिया था। आप इस बारे में पता कर सकते हैं यह रिकार्ड की बात है।

प्रो0 सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो पहले कहना था वह कह लिया है अब मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ और इनको जवाब सुनना चाहिए। उस वक्त इनकी लज्जा कहां पर भाग गई थी जब ये एक दिन और दो दिन का सैशन लेकर आए थे। (विघ्न) मैं इनको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि सरकार को किसी किस्म का डर नहीं है हम सब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व वाली सरकार में यूनाईटिड हैं। झगड़ा तो इनकी तरफ है इनको यूनाईटिड होने के लिए केन्द्र की मीटिंग बुलानी पड़ती है। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, अभी माननीय विपक्ष के नेता ने बी.ए.सी. की रिपोर्ट पर ऐतराज किया, ठीक है। इन्होंने कहा कि मैं एग्री नहीं करता लेकिन साथ ही यह भी कमीटमैंट किया कि हाउस से वाक आउट नहीं करेंगे (विघ्न)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हम हाउस से वाक आउट नहीं करेंगे लेकिन अगर आप से गलत काम होंगे तो एक बार नहीं हम बार-बार वाक आउट करेंगे। (विघ्न) इनके कहने से वाक आउट नहीं करेंगे अगर वाक आउट करेंगे तो अपनी मर्जी से वाक आउट करेंगे। (विघ्न)

16.00 बजे **अध्यक्ष** : आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर बैठें।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो यूनाईटेड फोर्स है और दूसरी तरफ सारे के सारे आपस में लड़ रहे हैं टांग खींच रहे हैं। ये किस बात का दावा कर रहे हैं ? सरकार तो पूरे पांच साल चलेगी। जो इनको कहना है वह ये कहें। दो दिन का समय बहुत है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Bunisess Advisory Committee.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गये/पुनः रखे गये कागज़-पत्र

Mr. Speaker : Now, a Minister will lay/re-lay the papers on the table of the House.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to lay on the table—

The Haryana Panchayati Raj (Second Amendment) Ordinance, 2000 (Haryana Ordinance No. 4 of 2000).

The Haryana Municipal (Second Amendment) Ordinance, 2000 (Haryana Ordinance No. 5 of 2000).

The Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Ordinance, 2000 (Haryana Ordinance No. 6 of 2000).

The Haryana General Sales Tax (Third Amendment) Ordinance, 2000 (Haryana Ordinance No. 7 of 2000).

The Haryana Municipal (Third Amendment) Ordinance, 2000 (Haryana Ordinance No. 8 of 2000).

The Haryana Municipal Corporation (Third Amendment) Ordinance, 2000 (Haryana Ordinance No. 9 of 2000).

The Haryana Local Area Development Tax Ordinance, 2000 (Haryana Ordinance No. 10 of 2000).

The Haryana General Sales Tax (Fourth Amendment) Ordinance, 2000 (Haryana Ordinance No. 11 of 2000).

Sir, I also beg to re-lay on the table—

The Power Department Notification No. S.O. 106/H.A.10/98/S/23, 24, 25/98, dated the 14th August, 1998, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

The Power Department Notification No. S.O. 111/H.A.10/98/S.55/98, dated the 16th August, 1998, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

The Prohibition, Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 35/H.A. 20/73/S.64/99, dated the 31st March, 1999 regarding the Haryana General Sales Tax (First Amendment) Rules, 1999, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Prohibition, Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 47/H.A. 20/73/S.64/99, dated the 18th May, 1999 regarding the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Rules, 1999, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Power Department Notification No. S.O. 156/H.A. 10/98/ Ss 23,24, 25 and 55/99, dated the 1st July, 1999, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 70/Const./Art. 320/Amd.(1)/99, dated the 2nd July, 1999 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) First amendment Regulations, 1999, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Power Department Notification No. S.O. 186/H.A. 10/98/ Ss 23, 24 and 25/99, dated the 13th August, 1999, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

The Power Department Notification No. S.O. 213/H.A. 10/98/ Ss 23, 24, 25 and 55/99, dated the 15th October, 1999, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

The Power Department Notification No. S.O. 235/H.A. 10/98/ S. 23, 24, 25 and 55/99, dated the 15th November, 1999, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

The Power Department Notification No. S.O. 244/H.A. 10/98/ Ss 23, 24, 25 and 55/99, dated the 30th November, 1999, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

The Local Government Department Notification No. G.S.R. 42/ H.A./16/1994/S.67/98, dated the 30th September, 1998 regarding the Haryana Municipal Corporation Employees (Recruitment and Conditions) Service Rules, 1998, as required under Section 390(2) of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

Sir, I also beg to lay on the table—

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 11/Const./Art.320/Amd. (1)/2000, dated the 27th March, 2000 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Amendment Regulation, 2000, as required under Article 320(5) of Constitution of India.

[Prof. Sampat Singh]

The Prohibition, Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 18/H.A. 20/73/S.64/2000, dated the 3rd April, 2000 regarding the Haryana General Sales Tax (Amendment) Rules, 2000, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Prohibition, Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 21/H.A. 20/73/S. 64/2000, dated the 20th April, 2000 regarding the Haryana General Sales Tax (Amendment) Rules, 2000, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 25/Const./Art.320/Amd.(1)/2000, dated the 23rd May, 2000 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) First Amendment Regulations, 2000, as required under Article 320(5) of Constitution of India.

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 29/Const./Art.320/Amd.(2)/2000, dated the 29th June, 2000 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Second Amendment Regulations, 2000, as required under Article 320(5) of Constitution of India.

The Prohibition, Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 41/Haryana Ordinance 10/2000/S.26/2000, dated the 27th July, 2000 regarding the Haryana Local Area Development Tax Rules, 2000, as required under Section 27 of the Haryana Local Area Development Tax Ordinance, 2000.

The Prohibition, Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 44/H.A. 20/73/S.64/2000, dated the 28th July, 2000 regarding the Haryana General Sales Tax (Third Amendment) Rules, 2000, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 2000.

The Prohibition, Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 45/H.A. 20/73/S.64/2000, dated the 28th July, 2000 regarding the Haryana General Sales Tax (Fourth Amendment) Rules, 2000, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Social Welfare Department Notification No. G.S.R. 58/C.A.28/1961/S.10/2000, dated the 25th August, 2000, regarding the Haryana Dowry Prohibition Rules, 2000, as required under Section 10(3) of the Dowry Prohibition Act, 1961.

The Power Department Notification No. S.O. 73/H.A.10/1998/Ss. 23, 24, 25 and 55/2000, dated the 14th June, 2000, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

The Report of the Commission of Inquiry headed by Justice M.L.Koul (Retd.), regarding Police Firing causing death of two persons on the 9th October, 1997, at Bhadurgarh, Police Station City Bhadurgarh. District Jhajjar, as required under Sub-section (4) of Section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952.

The Report of the Commission of Inquiry headed by Justice M.L.Koul (Retd.), relating to Police firing made on the Workers in Pashupati Spinning & Weaving Mills, Dharuhera on 19-2-1998, as required under Sub-section (4) of Section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952.

The Annual Report of Haryana State Pollution Control Board for the year 1996-97, as required under Section 39(2) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

The Annual Report of Haryana State Pollution Control Board for the year 1997-98, as required under Section 39(2) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

The 27th Annual Report of the Haryana Tanneries Limited for the year 1998-99, as required under Section 619-A(3)(b) of the Companies Act, 1956.

The 25th Annual Report of the Haryana Land Reclamation and Development Corporation Limited for the year 1998-99, as required under Section 619-A(3)(b) of the Companies Act, 1956.

The Audit Report of the Haryana Labour Welfare Board for the year 1997-98, as required under Section 19-A(3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Amendment Act, 1984.

The 25th Annual Report of the Haryana Seeds Development Corporation Limited for the year 1998-99, as required under Section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 1999 No. 3 (Civil) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 1999 No.2 (Commercial) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Report of the First State Finance Commission, Haryana (March, 1997), as required under Clause 4 of Article 243-I and Clause 2 of Article 243-Y of the Contitution of India.

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 6th September, 2000.

*16.02 Hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Wednesday, the 6th September, 2000.)

32532—H.V.S.—H.G.P., Chd.